

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

OA No. 54/2025(CZ)

IN THE MATTER OF:

SOBRAN YADAV

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF MP & ORS.

.....RESPONDENTS

INDEX

SR.	PARTICULARS	Annexure	PAGE
1.	Joint Committee Report submitted in compliance of order dated 29.04.2025 passed by the Hon'ble NGT(CZ)		1-10
2.	Panchnama of the Inspection by the Committee	1	11-12
3.	Letter no. 463 of the Executive Engineer, Water Resource Department, District Tikamgarh dated 04.03.2024	2	13
4.	Breif Note by Water Resource Department regarding the issues raised in the OA	3	14
5.	Letter dated 10.01.2025 issued by Water Resource Department for removal of encroachment along with 29 notices	4	15-45
6.	Letter dated 26.05.2025 of the Project Officer, District Ubran Development Agency, Tikamgarh	5	46
7.	Brief Status report of the six talab including Mahendra Sagar Lake by Tehseeldar, District Tikamgarh dated 18.06.2025	6	47-60
8.	Government of India, MoEF&CC has notified Wetlands	7	61-74

	(Conservation and Management) Rules, 2017		
9.	Copy of MoEF&CC Office Memorandum dated 08.03.2022	8	75
10.	List of 262 wetlands in the district Tikamgarh	9	76-80
11.	Copy of MoEF&CC Office Memorandum dated 20.12.2024	10	81-99
12.	Letters issued to Environment Department and Forest Department to the District Collectors for Revenue Wetlands to complete Ground Truthing as well as the Demarcation each of the wetland which have been listed in the ISRO Atlas, 2021.	11	100-103
13.	Photographs of inspection, google map and copies of letter written by MP PCB Regional Office Sagar to the all the concerned departments	12	104-111
14.	Proof of Service		112

Date: 08.08.2025

Submitted by MPPCB:-

Place: Bhopal

through Counsel



Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

JOINT COMMITTEE INSPECTION REPORT

In the Matter of

Original Application No. 54/2025 (CZ) Sobran Yadav V/s
State of Madhya Pradesh & Ors.

w.r.to

Hon`ble National Green Tribunal Central Bench Bhopal
order dated 09.05.2025

Date of Visit: 09th June, 2025

Joint Committee Inspection Report in the matter of
Original Application No.54/2025(CZ)
Sobran Yadav V/s State of Madhya Pradesh& Ors.

The Hon'ble NGT (CZ), Bhopal vide its order dated 09th May, 2025 in Original Application No. 54/2025 (CZ) Sobran Yadav V/s State of Madhya Pradesh& Ors directed as under vide para 1:-

1- Issue raised in this application is protection of water body namely Mahendra Sagar Talab admeasuring approximately 102.738 hectares in the district of Tikamgarh, which is also one of the major sources of potable water for the residents of the city of Tikamgarh. The extent of the water body is not being preserved by the Respondent Authorities and, off lately, it has been observed that not only is a concrete park is being constructed within the water-bound area of the said Talab, but various other encroachments are also prevalent. The Municipal Council, Tikamgarh took permission for beautification work near Mahendra Sagar Talab with certain conditions set by the Water Resources Department. However, the work violated those conditions by encroaching into the area in question, leading to a stop-work notice from the Department. The water body falls within the domain of the Water Resources Department, and the Petitioner has obtained a letter dated 06.12.2024, wherein Respondent No.3, i.e., Executive Engineer, Water Resources Department, Tikamgarh, directed Respondent No.2, i.e., Chief Municipal Officer, Municipal Council, Tikamgarh, to stop the illegal construction work being carried out in and around Mahendra Sagar Talab.

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

- (i) One Representative from the Collector Tikamgarh(MP)
- (ii) One Representative from the State Wetland Authority(MP)
- (iii) One Representative from the Water Resources Department, Bhopal (MP)
- (iv) One Representative from the Member Secretary, State Pollution Control Board, Bhopal (MP)

The Committee was directed to submit the factual as well as action taken report to the Hon'ble Tribunal. The joint committee was constituted which was comprising of the following officers:

1. Shri Pratap Singh Chouhan, Additional
Collector, Collector Office, District Tikamgarh
(MP)
2. Dr. Dinesh Damde, Assistant Scientific Officer, M.P.
State Wetland Authority, Bhopal (MP)
3. Shri D. S. Kushwaha. Executive Engineer,
Water Resources Department, Tikamgarh (MP)
4. Shri SatishChouksey, Regional Officer, Regional Office,
M.P. Pollution Control Board, Sagar(MP)

In compliance of the Hon'ble Tribunal order, the joint committee visited area under question in Tikamgarh on 9th June, 2025 to assess the factual status of allegations made in petition.

The other officials present during the inspection are Shri Arvind Singh Yadav, Tahsildar. Tikamgarh, Shri Ompal Singh Bhadoriya Chief Municipal Officer, Municipal Council. Tikamgarh, Shri Deependra Singh, Executive Engineer, WRD Tikamgarh, Virendra Singh S.D.O WRD Tikamgarh & Concerned Patwari from Revenue Department. For better coordination in the investigation, the committee informed the applicant well in advance regarding the proposed visit but the applicant Shri Sobran yadav was not present during visit Panchnama is also made at site, which is Annexed as **Annexure-01**.

The main contentions of the petition are "Mahendra Sagar Talab admeasuring approximately 102.738 hectares in the district of Tikamgarh, which is also one of the major sources of potable water for the residents of the city of Tikamgarh. The extent of the

water body is not being preserved by the Respondent Authorities and, off lately, it has been observed that not only is a concrete park is being constructed within the water-bound area of the said Talab, but various other encroachments are also present. The Municipal Council, Tikamgarh took permission for beautification work near Mahendra Sagar Talab with certain conditions set by the Water Resources Department.

The committee made the following observation during site visit on the above mentioned issues and compiled the information as follows:-

Municipal Council Tikamgarh has obtained NOC/permission for beautification, tree plantation, pitching, and construction of a walking street within a distance of 20 meters from the control line of the bypass road towards the Mahendra Sagar Lake under departmental conditions for the purpose of developing a park and beautification work under AMRUT 2.0, scheme **(Annexure-2)** from Water Resource Department, Tikamgarh vide letter dated 4.03.2024 with following conditions:-

- (1) महेन्द्र सागर तालाब के पूर्ण जल स्तर (एम.डब्लू.एल लेविल) पर भरने पर आपके सौन्दर्यकरण एवं विकास कार्य की किसी प्रकार की क्षति होती है उसका उत्तरदायित्व जल संसाधन विभाग का नहीं होगा।
- (2) कार्य स्थल पर बांध, बेस्ट वियर, फीडर चैनल, स्लूस, स्ट्रक्चर्स एवं भवन आदि निर्मित संरचनाओं के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें और न ही क्षतिग्रस्त करें।
- (3) बांध पर किसी प्रकार की खुदाई न करें, न ही गहरी जड़ों वाले वृक्ष लगावें।
- (4) उक्त कार्य जल संसाधन विभाग की निगरानी में किया जावें एवं विभाग के निर्देशों का पालन किया जाना उचित होगा।
- (5) उक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार का आर्थिक व्यय देय नहीं होगा।
- (6) उक्त कार्य की अनुमति एक वर्ष हेतु दी गई है समय सीमा के उपरान्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।

2. After the permission was issued, the Municipal Council commenced construction work, following which departmental objections were raised. The Water Resources Department (WRD), through its letters dated 06.12.2024 and 10.02.2025, directed that the ongoing construction work be stopped immediately. It was stated that, if continued, the work would be considered unauthorized and action would be initiated as per rules. This information was also communicated to the District Collector, Tikamgarh.
3. Subsequently, the Municipal Council Tikamgarh submitted a reply to the Water Resources Department (**WRD**), stating that the boundary wall was constructed for the safety of the park. However, the WRD clearly noted that the construction work affects the water holding capacity of the lake and, therefore, the work carried out by the Municipal Council shall be deemed unauthorized. Action as per rules is proposed to be taken. A brief note regarding this matter submitted by WRD Tikamgarh Division to the committee is enclosed as **Annexure-3**.
4. The Water Resources Department (WRD) has also issued notices to **29 encroachers** who have occupied the wetland (submerged) area of Mahendra Sagar Lake and has also addressed a communication to the Tehsildar, Tikamgarh for the removal of these encroachments. The list of encroachers and copies of the issued notices are enclosed collectively as **Annexure-4**.
5. The Project Officer, District Urban Development Agency, Tikamgarh has also directed that a green belt be developed around the under-construction park near Mahendra Sagar Lake. Apart from the development of the green belt, the land shall not be used for any other purpose. The issued letter dated is enclosed as **Annexure-5**.
6. Currently the Municipal Council Tikamgarh has submitted that the under-construction park near Mahendra Sagar Lake to be developed as green belt as directed by the district administration.
7. The Tehsildar Tikamgarh has also been information on a brief

Status report of the six talab including Mahendra Sagar Lake which have been mentioned in the the Hon'ble NGT order dated 09.05.2025. The copy of the relevant letter is enclosed as **Annexure-6**.

Field observations of the committee

- a) The key points and issues on the basis of received information's and visual observation are as follows:

S. No	Wetlands/Talab	Aera(Ha)as per Revenue Record	Major Issues/threats
1.	Mahendra Sagar	102.738	untreated water, solid waste, encroachment, agriculture runoff
2.	Brandavan Talab (Jheer ki Bagiya)	22.550	Encroachment, untreated water, Agriculture runoff
3.	Gwal Sagar	39.019	Encroachment, untreated water, Agriculture runoff
4.	Hanuman Sagar	35.787	Encroachment, Untreated water
5.	Maharaj Sagar	22.515	Encroachment, Untreated water
6.	Shell Sagar	6.767	Encroachment, untreated water, solid waste, highly polluted.

- b) The committee found that there is no wastewater treatment system in Tikamgarh city; therefore, untreated wastewater is being discharged directly into the water bodies of the city.
- c) The committee observed that, as per the revenue records, most of the water bodies in the city do not have boundary demarcation (pillars/markers) in place.
- d) The committee found that there is no waste water treatment system in the Tikamgarh city, therefore the untreated waste water have been meet directly in the water bodies of the city.
- e) The incomplete beautification and other related works were found to be located within the boundary of Mahendra Sagar Lake and the constructions are of permanent nature.

f) **Applicability of Wetlands Rules, 2017**

- i. Government of India, MoEF&CC has notified Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 which is annexed as **Annexure - 7**.
- ii. In compliance of Hon'ble Supreme Court order dated October 4, 2017, (WP No. 230/2001), the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, issued an Office Memorandum on March 8, 2022 mentioned that the 2, 01,503 wetlands (>2.25 ha) as per the National Wetland Inventory and Assessment (NWIA), 2011 should be protected as per Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 is annexed as **Annexure - 8**.
- iii. Restrictions of activities in wetlands as per Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 are as follows:

The following activities shall be prohibited within the wetlands, namely,-

- a. Conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind;
- b. Setting up of any industry and expansion of existing industries;
- c. Manufacture or handling or storage or disposal of construction and demolition waste covered under the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016; hazardous substances covered under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 or the Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms Genetically engineered organisms or cells, 1989 or the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008; electronic waste covered under the E-Waste (Management) Rules, 2016;
- d. Solid waste dumping;
- e. Discharge of untreated wastes and effluents from industries, cities, towns, villages and other human settlements;

- f. **Any construction of a permanent nature except for boat jetties within fifty metres** from the mean high flood level observed in the past ten years calculated from the date of commencement of these rules; and,
- g. Poaching.
- iv. National Wetland Decadal Change Atlas, 2021 published by Space Applications Centre- ISRO Ahmadabad, a total of 2, 31,195 wetlands (at 1:50000 scales and area>2.25 ha) have been mapped in the Country.
- v. As per ISRO (2021) list a total 13565 wetlands have been mapped at 1:50,000 scale in the state of Madhya Pradesh.
- vi. Mahendra Sagar Lake and other wetlands/water bodies are also included in the list of wetlands of Tikamgarh district. As per the district wetland list, a total of 262 wetlands in Tikamgarh district have an area of more than 2.25 hectares. The list is annexed as **Annexure-9**.
- vii. Therefore, Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 shall be applicable to the six water bodies mentioned in the petition. In addition to these, Rule 4 is also applicable to all other wetlands or water bodies included in the district wetland list of Tikamgarh District.
- viii. In compliance of Hon'ble Supreme Court order dated 11 December 2024 (WP No. 304/2018, Anand Arya Vs Union of India & others along-with WP 230/2001 and WP No. 302/2020), the Ministry of Environment, Forest& Climate Change, Government of India, issued an Office Memorandum dated 20 December 2024 is annexed as **Annexure - 10**.
- ix. Hon'ble Supreme Court has been directed that "Each of the State/UT Wetland Authorities shall complete ground Truthing as well as the demarcation of Wetland boundaries of each of the Wetland which have been identified for their State by Space Application Center Atlas (SAC Atlas), 2021 as expeditiously as possible, but definitely within period of three months from 11.12.2024."

- x. In compliance of the Hon'ble Supreme Court directions, the Environment Department & Revenue departments have jointly issued a letter to all the District Collectors for Revenue Wetlands. Similarly, Environment Department and Forest department have also jointly issued a letter to all the District Forest Officers (DFOs) including Tikamgarh District to complete Ground Truthing as well as the Demarcation each of the wetland which have been listed in the ISRO Atlas, 2021. The copies of relevant letters are enclosed as **Annexure - 11**.
- xi. As per the available records on the dedicated Dashboard for Ground Truthing and Demarcation of wetlands, 100% of the work (277 wetlands) has been completed by the Revenue Officer and Forest Officer of the district Tikamgarh.

Committee recommendation

- i. All the water bodies of the district especially which those have been mentioned in the petition should be physical demarcated the wetland boundary through pillars/Manares and also demarcates the 50 meter no construction buffer zone from the wetland boundary by district administration.
- ii. List out the existing encroachments and illegal construction and remove them from within the wetland boundary and it 50 meters no construction zone.
- iii. Since no Sewage Treatment Plant (STP) exists in the Tikamgarh City. Immediate action should be taken to intercept and divert existing sewage drains to prevent direct discharge into water bodies.
- iv. Solid waste dumping is strictly prohibited in and around the wetlands/water bodies.
- v. A necessary action must be taken to enhance the retaining capacity of the water bodies by appropriate district administration.
- vi. An integrated management plan should be developed for the conservation and protection of these six lakes in Tikamgarh city. In particular, **Shell Sagar Lake requires immediate preventive measures; otherwise, it is at risk of completely disappearing in the coming years.**

- vii. District Administration Tikamgarh & Municipal Council Tikamgarh (M.P.) shall ensure the compliance of Rule 4 of Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.

Photographs taken during inspection, google map and a copy of letter is written by MPPCB Regional Office Sagar to all the concerned department are annexed as **Annexure - 12**


30/7/2025

Dr. Dinesh Damde
Assistant Scientific Officer,
M.P. State Wetland Authority,
Bhopal


D.S. Kushwaha.
Executive Engineer, Water
Resources Department,
Tikamgarh


Satish Kumar Chouksey,
Regional Officer,
M.P. Pollution Control Board,
Sagar (MP)


Pratap Singh Chouhan
Additional Collector,
District Tikamgarh(MP)

ANNEXURE-1

पंचनामा दिनांक 09/06/2025

पंचनामा लिखा दिया हूँ उपस्थित ग्राम पंचायत में मा. मा. श्री. रामराज
 एवं महाराजपुरा, हनुमान सागर बालोन छि आल दिनांक 09/06/2025
 को माननीय एन.जी.टी. क्र. 54/2025 (CZ) खेवरन गांव पर
 राज्य शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09/05/25 के पालन
 में गांवित सेपुव्व सहित दाय, महेंद्र सागर, टालाव वीरामाह के
 साथ खिनाव टालाव (खिरकी वरिण) सैल सागर टालाव, हनुमान
 सागर, महाराज सागर एवं ज्वाल सागर टालाव (मा. मा. मा.) का
 स्थल भ्रमण किया गया, भ्रमण के दौरान सहित के सदस्य पिला
 कलेक्टर वीरामाह की ओर है 1- अपा क्लेक्टर वीरामाह 2- राज्य वेल्डिंग
 प्राधिकरण की ओर है, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, 3- पल संसाधन विभाग
 की ओर है कार्यपालन यंत्री वीरामाह 4- मत्स्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 ओपाव की ओर है क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहे। आपीलापी संर-
 -आष पर सेपुव्व लिया गया, उसके आयु को 1 (8450056700) पर
 वार कर आने में असमर्थता बतारी गरी

अतः पंचनामा लिखा हो रही है तब यह पत्र पर आठ अक्षर

सहित के सदस्य

- | क्र. - नाम | पदनाम | हस्ताक्षर |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1 - श्री प्रताप सिंह चौधरी | (अपा क्लेक्टर वीरामाह) | हस्ताक्षर |
| 2 - डॉ. दिनेश रामड़े | (सहायक वैज्ञानिक अधिकारी) | 9/6/25 |
| 3 - श्री दीपेन्द्र सिंह | (कार्य. यंत्री वीरामाह) | 9/6/25 |
| 4 - श्री सतीश चौधरी | (क्षेत्रीय अधिकारी सागर) | 09.06.25 |
| अन्य उपस्थित अधिकारी / कार्याचारी | | |
| 1 - श्री. अरविन्द भादव | (तहसीलदार वीरामाह) | Ah |
| 2 - श्री. अमरपाल सिंह अठौरिया | (मत्स्य अधिकारी वीरामाह) | 9/6/25 |
| 3 - श्री. वीरेंद्र सोलेकी | (SDO WARD वीरामाह) | Soleki |
| 4 - श्री. सागर जंत | (पटवारी वीरामाह जिला) | 9/6/25 |

- ⑤ शोभाशरु भास्त्रिवाट पटवारी हळु माकेण Shelam
पटवारी हळु माकेण
- ⑥ सतेत मादव पटवारी हळु महाराणपुर Syaban
- ⑦ सुशोक नामेव (स्टेनो R.O. साग) Rishank

पत्र क्रमांक

463

/कार्य/2023 -2024

टीकमगढ़ दिनांक

4-3-24

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नगरपालिका परिषद टीकमगढ़

विषय :-

महेन्द्र सागर तालाब बाईपास रोड किनारे विकास एवं सौन्दर्यकरण कार्य हेतु एन.ओ.सी. प्रदान करने
बावत्।

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक 57/लो.नि./न.प./2024 टीकमगढ़ दिनांक 08.01.2024

00

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र में महेन्द्र सागर तालाब बाईपास रोड किनारे निकाय द्वारा अमृत 2.0, मुख्यमंत्री अघोसंरचना विकास एवं अन्य योजना द्वारा पार्क एवं सौन्दर्यकरण कार्य हेतु बाईपास रोड कन्ट्रोल लाइन की दूरी से तालाब की ओर 20 मीटर दूरी तक सौन्दर्यकरण एवं विकास कार्य जिसमें पार्क, वृक्षारोपण एवं पिचिंग, वाकिंग स्ट्रीट बनाए जाने हेतु अनुमति चाही है।

उक्त कार्य की निम्नानुसार अनुमति प्रदान की जाती है :-

- (1) महेन्द्र सागर तालाब के पूर्ण जल स्तर (एम.डब्ल्यू.एल लेविल) पर भरने पर आपके सौन्दर्यकरण एवं विकास कार्य की किसी प्रकार की क्षति होती है उसका उत्तरदायित्व जल संसाधन विभाग का नहीं होगा।
- (2) कार्य स्थल पर बांध, बेस्ट वियर, फीडर चैनल, स्लूस, स्ट्रक्चर्स एवं भवन आदि निर्मित संरचनाओं के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें और न ही क्षतिग्रस्त करें।
- (3) बांध पर किसी प्रकार की खुदाई न करें, न ही गहरी जड़ों वाले वृक्ष लगावें।
- (4) उक्त कार्य जल संसाधन विभाग की निगरानी में किया जावे एवं विभाग के निर्देशों का पालन किया जाना उचित होगा।
- (5) उक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार का आर्थिक व्यय देय नहीं होगा।
- (6) उक्त कार्य की अनुमति एक वर्ष हेतु दी गई है समय सीमा के उपरान्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

(डी.एस.कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

टीकमगढ़ (म.प्र.)

पत्र क्रमांक

464

/कार्य./2023-2024

टीकमगढ़ दिनांक

4-3-24

प्रतिलिपि :-

- (1) कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक 1 टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) श्री एस.के.श्रीवास्तव उपयंत्री द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक 1 टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। लेख है कि कार्यस्थल पर सतत निगरानी रखते हुये तकनीकी विन्दुओं का ध्यान रखा जावे।

(डी.एस.कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

टीकमगढ़ (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ (म.प्र.)

E-mail-ID-eewrdtkg@ gmail.com, Phone No. 07683-245304

पत्र क्रमांक

510

/स्था./2025

टीकमगढ़ दिनांक

08.07.25

प्रतिवेदन

ANNEXURE-3

OA No. 54/2024-25 (cz) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण केन्द्रीय जोन भोपाल (म.प्र.)।

000

जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ अन्तर्गत महेन्द्र सागर तालाब बाई पास रोड किनारे नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 58/लो.नि./न.पा./2024 दिनांक 08.01.2024 के परिपक्ष्य में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 463/कार्य/टीकमगढ़ दिनांक 04.03.2024 द्वारा महेन्द्र सागर तालाब बाई पास रोड किनारे निकाय द्वारा अमृत 2.0 मुख्य मंत्री अधोसंरचना विकास एवं अन्य योजनान्तर्गत पार्क एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु बाईपास रोड कन्ट्रोल लाइन की दूरी से तालाब की ओर 20 मीटर दूरी तक सौन्दर्यीकरण एवं वृक्षारोपण एवं पिचिंग,वाकिंग स्ट्रीट बनाए जाने हेतु विभागीय शर्तों के तहत अनुमति प्रदान की गई थी ।

किन्तु निकाय द्वारा पार्क निर्माण का कार्य समम्पादित किए जाने से विभागीय आपत्ति दर्शाते हुए निर्माण कार्य अविलम्ब बंद कराने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक 2327/कार्य/दिनांक 06.12.2024 एवं पत्र क्रमांक 150/कार्य/दिनांक 10.02.2025 द्वारा सूचनापत्र जारी करते हुए यह लेख किया गया था कि पार्क निर्माण कार्य को अविलम्ब बन्द न करने की स्थिति में उक्त निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए नियमानुकूल कार्यवाही संस्थापित की जावेगी। जिसको सूचना कलेक्टर टीकमगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भी दी गई है।

तत्पश्चात नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ द्वारा कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ को संबोधित पत्र क्रमांक 1689/निर्माण कार्य दिनांक 24.03.2024 के बिन्दुक्रमांक 6 में यह लेख किया है कि पार्क की सुरक्षा की दृष्टि से वाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है ।

तदनुसार यदि भविष्य में तालाब की सुरक्षा अथवा जल भराव की क्षमता प्रभावित होने पर नगर पालिका परिषद द्वारा किए गए कार्य को अनाधिकृत मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।


(डी.एस.कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

 टीकमगढ़ (म.प्र.)

ANNEXURE-4

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, क्रमांक 1 टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक

/ सहायक वर्ग - 3 / 2024-2025

टीकमगढ़ दिनांक

प्रति,


तहसीलदार
तहसील टीकमगढ़ म.प्र.

विषय :- महेन्द्र सागर तालाब के भराव क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को नोटिस तमील किये जाने की सूचना

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महेन्द्र सागर तालाब के भराव क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले 29 व्यक्तियों को नोटिस तमील कर आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्न - 29 अतिक्रमणकारी व्यक्तियों के तमीलसुदा नोटिस की छायाप्रति।


अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
क्रमांक 1 टीकमगढ़ (म.प्र.)

पृ. क्रमांक 07 / सहा.वर्ग-3 / 2024-2025
प्रतिलिपि.-

टीकमगढ़ दिनांक 10-1-25

- (1) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
- (2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ ।


अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
क्रमांक 1 टीकमगढ़ (म.प्र.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग.....-1 टीकमगढ़

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस :

क्रमांक01)...../राजस्व/

दिनांक...3-1-2025

श्री/श्रीमती जयंती पुष्पा पिता/पति श्री शिवशंकर कुशवाह

निवासी ग्राम अमरपुर तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के अंदर तालाब के तल अथवा खूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक...7 दिवस तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

22485

0.150 हेक्टर

Sobati
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग-1
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग.....की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

मनीष कुशवाह

Ry...
अधीन के हस्ताक्षर

[Signature]
संस्था प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

Sobati
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
.....जिला- टीकमगढ़

क लय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग. के. ०/१०००६
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक ०१/राजस्व/

दिनांक ३/११/२०१६

2

श्री/श्रीमती विपिन सैजीव पिता/पति श्री अमर प्रसाद सिपाई
निवासी ग्राम कुम्हंडी/कार्वाही/तालाब/टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया
जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के महेन्द्रुलगा तालाब के तल अथवा
डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया
जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों
में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक ७/११/२०१६ तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प
से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की
जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक
२२५३५

रकवा
०७७० टैक्रेफ्ट
[Signature]

[Signature]
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन संघ प्रशासक
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ ०२/राजस्व/

दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन, यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

[Signature]
अमीन के हस्ताक्षर

[Signature]
संथा प्रभारी उष्यंत्री के हस्ताक्षर

[Signature]
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
.....जिला- टीकमगढ़

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग. 5-10/2025
जिला- टीकमगढ़ (स.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/...../राजस्व/

दिनांक 3-1-2025

श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती पिता/पति श्री पुरोहित

निवासी ग्राम श्री मुहना टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया

जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के अन्तर्गत तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7 दिनांक तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकवा

2234

0.030 हेक्टर

मन प्रिय
5-1-25
5:40 P.M.

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ 02/राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अधीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3-1-25

4) श्री/श्रीमती वि. वि. वि. पिता/पति श्री रा. जे. प्र. सा. 4 पुरोहित
निवासी ग्राम श्री 2 मुं टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के न. दे. ग. ग. तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7.1.25 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

2230

0.030 हेक्टेयर

N. Prasad
04/01/25

S. K. Singh
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

Rajendra
अभियंता के हस्ताक्षर

[Signature]
संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

S. K. Singh
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/...../राजस्व/

दिनांक 3-1-25

श्री/श्रीमती विद्यादेवी पिता/पति श्री 21/विद्यादेवी 4/.....
निवासी ग्राम पुरानी टोही/..... तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के अन्दर तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7 दिनांक तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

2245

0.07 0.07 9242

विद्यादेवी

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

सथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, ~~...~~
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3-1-25

श्री/श्रीमती ~~...~~ पिता/पति श्री ~~...~~
निवासी ग्राम ~~...~~ तहसील ~~...~~ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के ~~...~~ तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक ~~...~~ तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही का जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

22 438

2000 = 00 97 1/2

40x50 ~~...~~
फैलाई ~~...~~

~~...~~
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक 4/1/25

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग ~~...~~ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

~~...~~
अमीन के हस्ताक्षर

~~...~~
संस्था प्रभारी/उपयंत्री के हस्ताक्षर

~~...~~
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3-1-25

श्री/श्रीमती रामराम पिता/पति श्री रामराम कुशवाहा

निवासी ग्राम लखवाड़ा तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7-1-25 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

22349

25x30

750 वर्ग मीटर

पु पकाश कुशवाहा

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ/राजस्व/

दिनांक 4/1/2025

शक्ति कुशवाहा

प्रतिलिपि :-

- 1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3-1-25

श्री/श्रीमती शोभादास, कलू, चन्द्र, मुन्ना, पिता/पति श्री राम प्रकाश कुशवाहा
निवासी ग्राम लकियु (म.प्र.) तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया
जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के महेसुला तालाब के तल अथवा
डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया
जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों
में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7-1-25 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प
से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की
जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकवा

2248

0.202 हेक्टर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक 4/1/2025

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

राम प्रकाश

अधीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3-1-25

9) श्री/श्रीमती कमला शर्मा पिता/पति श्री परमपुत्र शर्मा
निवासी ग्राम पुरानी देहरी टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के भीतर तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7 दिवस तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

2250

0.170 हेक्टर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

पंजी 21
6-1-2025

पृष्ठ 02/राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 02-01-2025

श्री/श्रीमती सुब्बा विश्वकर्मा पिता/पति श्री

निवासी ग्राम पुरानी टेहरी टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7/1/2025 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक	रकबा
2234F	0.170 हेक्टेयर

पृष्ठ...../राजस्व/ दिनांक.....

- प्रतिलिपि :-
1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीर के हस्ताक्षर

संस्था प्रभासी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग 1
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक ०१/राजस्व/

दिनांक ३/११/२०२५

श्री/श्रीमती २ विराम पिता/पति श्री लक्ष्मण राम कुशवाहा

निवासी ग्राम अमरपुर, तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक ७/११/२०२५ तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

२२५७
दयाराम

०.०२० हेक्टेयर
१६५४

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक ०१/राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

(12)

श्री/श्रीमती लक्ष्मण लाल पिता/पति श्री नाथू राम पाण्डे
निवासी ग्राम धर्मिया (सामरवाड़ा) तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक.....तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकवा

2244

0.010 हेक्टेयर
देवरा

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग-1
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जल संसाधन उप संभाग
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग.....की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

Reserved by
Rashmi Paruley
04/01/2025

अमीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग-1
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जल संसाधन उप संभाग
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग.....

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक ०१/राजस्व/

दिनांक ३/१/२०२४

13

श्री/श्रीमती विजय

पिता/पति श्री

कलू तिवारी

निवासी ग्राम पुराी टेहरी तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक.....तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

२२५७

०.०५० हेक्टेयर

वेस्ट

५-१-२०२४

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक ०१/राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

14

श्री/श्रीमती वृजेश पाठक पिता/पति श्री महेश पाठक
 निवासी ग्राम दुधवा तहसील दुधवा जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7 दिवस तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक
2284

रकवा
0.050 हेक्टेयर
वार के लिए एवं
प्लान बनाया

श्रीमती
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)

पृष्ठ 02/राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

श्रीमती
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक ०१/राजस्व/

दिनांक ३१/११/२०२५

(१५)

श्री/श्रीमती मायावती प्रिता/पति श्री सुबोध सुभारण्य

निवासी ग्राम मितापुर तहसील जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक २३/११/२०२५ तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकवा

२२५७

१५४५० वर्ग फीट
अज्ञान वर्ग फीट

Solanki
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग.....की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

शुभ प्रति प्राप्त की
Chandrasekhar
३१/११/२०२५

अमीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी उपयंत्रियों के हस्ताक्षर

Solanki
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, क-10/ममर
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

श्री/श्रीमती कन्देदी पिता/प्रति श्री उमराली/बल्लु/मुसाफिर

निवासी ग्राम अशितपुरा/ममर/टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के अन्दर तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7 दिनांक तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

3248

12x30 ककित
= 360 ककित

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग क्र. 1
टीकमगढ़ जिला

क-10/ममर...जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग.....की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

श्री/श्रीमती
3/1/2025

अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग क्र. 1
टीकमगढ़ जिला

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

7)

श्री/श्रीमती रामपाल पिता/पति श्री वाकू चालु
निवासी ग्राम बितपुर (वापपा) तहसील जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकवा

220

0.170 डेकरेपल
मालवा कोट

TSK

~~.....~~

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जल संसाधन उपसंभाग
..... जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अधीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभाषि उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जल संसाधन उपसंभाग
..... जिला- टीकमगढ़

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग.....

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3-12-25

श्री/श्रीमती मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका- टीकमगढ़ पिता/पति श्री

निवासी ग्राम टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया

जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के अन्दर तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7-12-25 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।



रकबा 1.500 हे. वाउचर/वाल् बनाकर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ 02/राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग..... की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

अमीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/4/2025

श्री/श्रीमती विद्यादेवी प्रतापति श्री सोविन्दराज शर्मा
निवासी ग्राम पुशनी देही तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के महेसुहाय तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7 दिनांक तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

2237

0.405 हेक्टे.
चासक की

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग.....की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

विद्यादेवी

अधीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

जिला अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस ..

क्रमांक/राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

श्री/श्रीमती चतुकांत पिता/पति श्री डी.वि.दास रेभवत
निवासी ग्राम पुष्पा देही तहसील जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7/1/2025 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

2244

रकवा

0-202 लेख
कलक कोक

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

विद्या देवी

अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक ०१/राजस्व/

दिनांक ३-०१-२५

श्री/श्रीमती सुश्रीमती पिता/पति श्री श्री विद्यादास टिकमगढ़
निवासी ग्राम पुरानी टोही तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक ७/३/२५ तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

२२५०

० २०२ छके २५
कलक की

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
टीकमगढ़

पृष्ठ/राजस्व/

दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिदा देवी

अमीज के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक/राजस्व/

दिनांक 3/11/2023

22) श्री/श्रीमती पिता/पति श्री
निवासी ग्राम तहसील जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7/11/23 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

22/485

0.202 हेक्टर
काला काल

अनुविभागीय अधिकारी,
जल संसाधन उपसंभाग,
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़
दिनांक 04.10.25

पृष्ठ...../राजस्व/

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभक्षी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी,
जल संसाधन उपसंभाग,
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

23 श्री/श्रीमती मागे सुवर्ण पिता/पति श्री रामचंद्र रंजण

निवासी ग्राम ... तहसील ... जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के ... तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक ... तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकवा

2250

0.262 हेक्टर काका वोक

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग जिला- टीकमगढ़

04.01.25

पृष्ठ .../राजस्व/

प्रतिलिपि :-

- 1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग ... की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग जिला- टीकमगढ़

जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/11/2025

(24)

श्री/श्रीमती रमेश बाबू पिता/प्रति श्री सूर्य कान्त शर्मा

निवासी ग्राम मजरा देवद्वारा तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7 दिवस तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक 22.30

रकबा 0.405 एकर

रमेश बाबू

अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी/उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, क.प्र. 101/2025
 जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस :

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/11/2025

(25) श्री/श्रीमती गणेश लाल पिता/पति श्री मंगलदास रंजन
 निवासी ग्राम पुरानी देहली, तालाब की हसील, टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7 दिनांक तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

22/05

0.405 हेक्टेयर
 काला कोयल
 अनुविभागीय अधिकारी
 जल संसाधन उपसंभाग क.प्र. 101/2025
 जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग, क.प्र. 101/2025 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

गणेश रंजन

अधीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी सचयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
 अनुविभाग, जल संसाधन उपसंभाग क.प्र. 101/2025
 जिला- टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01 /राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

श्री/श्रीमती राजश्री श्री/श्रीमती श्री हरिहर पाण्डे

निवासी ग्राम पुरानी तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7/1/2025 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

22/2/1

राज	रकबा 20x50 वर्ग फीट
अ-758	25x40 वर्ग फीट
	30x50 वर्ग फीट

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

4-1-25 2 P.M.

अमीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी/उपप्रभारी के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक ०)...../राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

281

श्री/श्रीमती डा० हरिहर पिता/पति श्री गो विन्दा सिंह
निवासी ग्राम पुष्पा नदी के बगल में हसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 07 दिनांक तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

22/2/2

0-708

0-408

10x25 का/कि/2 में 22/2/2
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग.....की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

5/1/25
4-1-25 2 P.M.

अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी/उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला- टीकमगढ़

जल संसाधन उपसंभाग
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 31/1/2025

श्री/श्रीमती डा० हरिहर यादव पिता/पति श्री जोगिन्दर सिंह यादव
निवासी ग्राम पुरानी बखी बिकुवा बखी तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया
जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के अन्दर तालाब के तल अथवा
डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया
जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों
में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 07/1/2025 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प
से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की
जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

22/2/21

5.824
काला बोक

शुभा
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग... की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीच के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

शुभा
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस :

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

30 श्री/श्रीमती ~~श्री हरिहर यादव~~ पिता/पति श्री ~~श्री गोविन्दसिंह यादव~~
निवासी ग्राम ~~पुरानी तलवाडी के पास टीकमगढ़~~ तहसील ~~टीकमगढ़~~ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया
जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के ~~अंदर~~ तालाब के तल अथवा
डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया
जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों
में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक ~~7/1/2025~~ तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प
से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाही की
जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

22/43/2

0.180 हेक्टेयर

टीकमगढ़ जिला

[Signature]
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग-1
टीकमगढ़ जिला

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग ~~टीकमगढ़~~ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

[Signature]
अमीन के हस्ताक्षर

अमीन के हस्ताक्षर

[Signature]
संस्था प्रभारी (अध्यंत्री) के हस्ताक्षर

[Signature]
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
टीकमगढ़ जिला

ANNEXURE-5

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण टीकमगढ़ (म.प्र.)

E-Mail-podudatikamgarh@mpurban.gov.in

क्रमांक / डीयूडीए / योजना / 2025 / 379

टीकमगढ़, दिनांक 26/05/2025

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद टीकमगढ़।

विषय :- महेन्द्र सागर तालाब पर नगर पालिका परिषद द्वारा भराव क्षेत्र में बनाये जा रहे पार्क के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 1689 दिनांक 24.03.2025

—00—

आपको आदेशित किया जाता है कि महेन्द्र सागर तालाब पर निर्माणाधीन पार्क में आसपास हरित क्षेत्र विकसित किया जावे एवं हरित क्षेत्र विकसित करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में न लिया जावे।


कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित।

पृ0क्र0 / डीयूडीए / योजना / 2025 / 380

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग टीकमगढ़।


परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)
टीकमगढ़, दिनांक 26/05/2025


परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

ANNEXURE-6

कार्यालय तहसीलदार, तहसील व जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)
 दिनांक :- 18-06-2025
 प्र0क्रमांक -140/तह0टी0/2025

प्रति,

श्रीमान् कलेक्टर महोदय,
 जिला - टीकमगढ़ (म0प्र0)

विषय :- माननीय एनजीटी प्रकरण क्रमांक O.A. 54/2025 सोबरन यादव विरुद्ध म0प्र0 शासन व अन्य के संबंध में जानकारी प्रेषित करने बावत्।

संदर्भ :- क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर के पत्र क्रमांक 688/क्षे. का/प्रनिबो/2025 दिनांक 17.06.2025

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सेन्ट्रल जोन) के प्रकरण क्रमांक O.A. 54/2025 सोबरन यादव विरुद्ध म0प्र0 शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा महेन्द्र सागर तालाब सहित कुल 06 तालाबों का दिनांक 09.06.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया। चूंकि क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच रिपोर्ट हेतु जानकारी संकलित करना है। अतः जांच रिपोर्ट तैयार करने हेतु संलग्न प्रारूप के अनुसार जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

Name of talab - Mahendrasagar Talab Tikamgarh Kila		
Required Information	Responsible Department/Agencies	Remarks
1. Ownership status (Government, private).	Revenue	Government
2. Area (in hectares) – as per revenue records	Revenue	102.736 hec.
3. Khasra maps showing original boundary	Revenue	Atteched
4. Details of encroachments:	Revenue/CMO/WRD	-
a. Type (construction, agriculture, dumping, etc.)		Construction, agriculture
b. Extent (area encroached)		3.902 hec.
c. Names of eneroachers (if available or as per petition)		-
d. Encroachments in within		-

wetlands or talab and 50 meter no construction zone		
5. Encroachment removal actions taken:	Revenue/CMO/WRD	-
a. Notices issued, demolitions conducted, court cases (if any)		demolitions conducted, Honorable MPHC Jabalpur WP 22034/2024 order dated 29.11.2024
b. Before-after images (if possible)		-
6. Pollution	CMO	-
a. Domestic sewage, solid waste, industrial effluent, agriculture runoff		-
b. Presence of drainage channels entering the talab		-
c. Details of waste treatment infrastructure:		-
d. STP (Sewage Treatment Plant), waste segregation units, etc.		-
7. Present use of talab (fishing, water supply, irrigation etc.)	Revenue/CMO	irrigation, fishing
8. Ongoing or proposed conservation Activities if any	Revenue/CMO	-

Name of talab - Vrindavan Talab Tikamgarh Kila		
Required Information	Responsible Department/Agencies	Remarks
1. Ownership status (Government, private).	Revenue	Government
2. Area (in hectares) – as per revenue records	Revenue	22,500 hec.
3. Khasra maps showing original boundary	Revenue	Attached
4. Details of encroachments:	Revenue/CMO/WRD	-
a. Type (construction, agriculture, dumping, etc.)		none
b. Extent (area encroached)		-
c. Names of encroachers (if available or as per petition)		-
d. Encroachments in within wetlands or talab and 50 meter no construction zone		-

5. Encroachment removal actions taken:	Revenue/CMO/WRD	-
a. Notices issued, demolitions conducted, court cases (if any)		-
b. Before-after images (if possible)		-
6. Pollution	CMO	-
a. Domestic sewage, solid waste, industrial effluent, agriculture runoff		-
b. Presence of drainage channels entering the talab		-
c. Details of waste treatment infrastructure:		-
d. STP (Sewage Treatment Plant), waste segregation units, etc.		-
7. Present use of talab (fishing, water supply, irrigation etc.)	Revenue/CMO	irrigation, fishing
8. Ongoing or proposed conservation Activities if any	Revenue/CMO	-

Name of talab - Sailsagar Talab Tikamgarh Kila		
Required Information	Responsible Department/Agencies	Remarks
1. Ownership status (Government, private).	Revenue	Private
2. Area (in hectares) – as per revenue records	Revenue	6.787 hec.
3. Khasra maps showing original boundary	Revenue	Atteched
4. Details of encroachments:	Revenue/CMO/WRD	-
a. Type (construction, agriculture, dumping, etc.)		No use
b. Extent (area encroached)		-
c. Names of encroachers (if available or as per petition)		-
d. Encroachments in within wetlands or talab and 50 meter no construction zone		-
5. Encroachment removal actions taken:	Revenue/CMO/WRD	-
a. Notices issued,		-

demolitions conducted, court cases (if any)		
b. Before-after images (if possible)		-
6. Pollution	CMO	-
a. Domestic sewage, solid waste, industrial effluent, agriculture runoff		-
b. Presence of drainage channels entering the talab		-
c. Details of waste treatment infrastructure:		-
d. STP (Sewage Treatment Plant), waste segregation units, etc.		-
7. Present use of talab (fishing, water supply, irrigation etc.)	Revenue/CMO	-
8. Ongoing or proposed conservation Activities if any	Revenue/CMO	-

Name of talab - Gwalsagar Talab Mamaun		
Required Information	Responsible Department/Agencies	Remarks
1. Ownership status (Government, private).	Revenue	Government
2. Area (in hectares) – as per revenue records	Revenue	39.019 hec.
3. Khasra maps showing original boundary	Revenue	Attached
4. Details of encroachments:	Revenue/CMO/WRD	-
a. Type (construction, agriculture, dumping, etc.)		construction
b. Extent (area encroached)		0.070 hec.
c. Names of encroachers (if available or as per petition)		list Attached
d. Encroachments in within wetlands or talab and 50 meter no construction zone		-
5. Encroachment removal actions taken:	Revenue/CMO/WRD	-
a. Notices issued, demolitions conducted, court cases (if any)		Notices issued
b. Before-after images (if		-

possible)		
6. Pollution	CMO	-
a. Domestic sewage, solid waste, industrial effluent, agriculture runoff		-
b. Presence of drainage channels entering the talab		-
c. Details of waste treatment infrastructure:		-
d. STP (Sewage Treatment Plant), waste segregation units, etc.		-
7. Present use of talab (fishing, water supply, irrigation etc.)	Revenue/CMO	irrigation, fishing
8. Ongoing or proposed conservation Activities if any	Revenue/CMO	-

Name of talab - Hanumansagar Talab maharajpura		
Required Information	Responsible Department/Agencies	Remarks
1. Ownership status (Government, private).	Revenue	Government
2. Area (in hectares) – as per revenue records	Revenue	35.787 hec.
3. Khasra maps showing original boundary	Revenue	Atteched
4. Details of encroachments:	Revenue/CMO/WRD	none
a. Type (construction, agriculture, dumping, etc.)		-
b. Extent (area encroached)		-
c. Names of encroachers (if available or as per petition)		-
d. Encroachments in within wetlands or talab and 50 meter no construction zone		-
5. Encroachment removal actions taken:	Revenue/CMO/WRD	-
a. Notices issued, demolitions conducted, court cases (if any)		-
b. Before-after images (if possible)		-
6. Pollution	CMO	-
a. Domestic sewage, solid		-

waste, industrial effluent, agriculture runoff		
b. Presence of drainage channels entering the talab		-
c. Details of waste treatment infrastructure:		-
d. STP (Sewage Treatment Plant), waste segregation units, etc.		-
7. Present use of talab (fishing, water supply, irrigation etc.)	Revenue/CMO	irrigation, fishing
8. Ongoing or proposed conservation Activities if any	Revenue/CMO	-

Name of talab - Maharajpura Talab Maharajpura		
Required Information	Responsible Department/Agencies	Remarks
1. Ownership status (Government, private).	Revenue	Government
2. Area (in hectares) – as per revenue records	Revenue	22.515 hec.
3. Khasra maps showing original boundary	Revenue	Atteched
4. Details of encroachments:	Revenue/CMO/WRD	-
a. Type (construction, agriculture, dumping, etc.)		-
b. Extent (area encroached)		-
c. Names of encroachers (if available or as per petition)		-
d. Encroachments in within wetlands or talab and 50 meter no construction zone		Old population area within 50 meters
5. Encroachment removal actions taken:	Revenue/CMO/WRD	-
a. Notices issued, demolitions conducted, court cases (if any)		-
b. Before-after images (if possible)		-
6. Pollution	CMO	-
a. Domestic sewage, solid waste, industrial effluent, agriculture runoff		-
b. Presence of drainage		-

channels entering the talab		
c. Details of waste treatment infrastructure:		-
d. STP (Sewage Treatment Plant), waste segregation units, etc.		-
7. Present use of talab (fishing, water supply, irrigation etc.)	Revenue/CMO	irrigation, fishing
8. Ongoing or proposed conservation Activities if any	Revenue/CMO	-



तहसीलदार
टीकमगढ़

प्र०क्रमांक -1५०/तह०टी०/2025
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 18-06-2025

क्षेत्रीय अधिकारी म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर की ओर सूचनार्थ ।


तहसीलदार
टीकमगढ़




ब्लॉक सं.	ग्राम टीकमगढ ताल	हल्का: टीकमगढ किला	तहसील: टीकमगढ	जिला: टीकमगढ
संख्या सं.	22(5)	क्षेत्रफल: 102.7360 (एकर.)		भू-खण्ड सं 218.74
प्लानशीट (संख्या)				मापक 1:4000 0 50 100 150 200m

1. यह नक्शा भारत सरकार के अधिनियम 1975 के तहत तैयार किया गया है।
 2. इस नक्शा में कोई भी परिवर्तन केवल इस नक्शा के साथ ही किया जा सकता है।
 3. इस नक्शा में कोई भी परिवर्तन केवल इस नक्शा के साथ ही किया जा सकता है।

(हस्ताक्षर)

श्रीक सागर बालाख - डीकगढ बालाख



प्राथमिक विद्यालय

P-23

दिनांक

पंचायत समिति का नाम

तहसील

जिला



क्र.सं.	विकास क्षेत्र का नाम				विकास क्षेत्र का नाम	विकास क्षेत्र का नाम			
				खसरा नं.	रकबा	आदात जमीन गैर आवासीय भूखंडों का विवरण	विकास क्षेत्र का नाम		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	850	39.09	—	25X12	—	—	—	—	—
2	850	39.09	—	20X15	—	—	—	—	—
3	850	39.09	—	20X15	—	—	—	—	—
4	850	39.09	—	22.5X15	—	—	—	—	—

Handwritten signature and name at the bottom left of the page.

सुभिन-सुभिन-सुभिन (भारतीय)



5



Handwritten text, possibly a title or description, written vertically on the right side of the page.

Handwritten text



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2017/आश्विन 4, 1939

No. 802]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2017/ASVINA 4, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 1203(अ).—आर्द्रभूमि, जो जलीय चक्र का अत्यावश्यक भाग हैं, उच्चतर उत्पादक पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं जो समृद्ध जैवविविधता का आधार हैं तथा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भाग होने के कारण कई महत्वपूर्ण मनोरंजक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों का समर्थन करते हुए जल भंडारण, जल शुद्धिकरण, बाढ़ अल्पीकरण, अपरदन नियंत्रण, भूजल का पुनःभरण, सूक्ष्म जलवायु का विनियमन, दृश्यभूमि के सौन्दर्य बौध को बढ़ाना जैसी पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं की व्यापक रेंज प्रदान करता है।

और, अधिकतर आर्द्रभूमि, अपवहन और भरणस्थान, प्रदूषण (घरेलू और औद्योगिक बहिःस्राव का निस्सारण, टोस अपशिष्टों का निपटान), जल विज्ञान संबंधी परिवर्तन (जल अपनयन और अंतर्वाह तथा ब्रह्मवाह परिवर्तन) के माध्यम से भूमि सुधार और अवक्रमण के कारण गंभीर रूप से संकटस्थ स्थिति में हैं और उनके प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप जैव विविधता की हानि और आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं में विघटन हुआ है;

और, संविधान के अनुच्छेद 51क के खंड (छ) में यह बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए एक व्यापक विधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आर्द्रभूमि और उससे जुड़े मामले भी सम्मिलित हैं।

और, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 में आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी सेवा को मान्यता दी गई है और सभी आर्द्रभूमि के लिए एक विनियामक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे उनकी ऐसी पारिस्थितिकी स्थिति को बनाए रखा जा सके, जो अंततोगत्वा उनके एकीकृत प्रबंध में सहायक हो;

और, भारत, आर्द्रभूमि संबंधी रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है, तथा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बुद्धिमतापूर्ण उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

और केन्द्रीय सरकार ने तारीख 4 दिसंबर, 2010 की सं.सा.का.नि. 951(अ) द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010, प्रकाशित किए हैं;

और आर्द्रभूमि का संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सारवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास आयोजना तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में आर्द्रभूमि जैवविविधता तथा पारिप्रणाली सेवाओं की पूर्ण शृंखला को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है;

और, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इसी प्रकार से अपने विकासात्मक कार्यक्रमों तथा आर्थिक कल्याण में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं और जैव विविधता संबंधी मूल्यों पर विचार करने और इस बात को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है कि आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणाली के दो मुख्य पारिस्थितिकी घटक भूमि और जल, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के विषय के रूप में सूचीबद्ध हैं;

और केन्द्रीय सरकार ने देश में आर्द्रभूमियों के प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन के लिए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 को अधिक्रांत करना आवश्यक समझा है;

और, अब, केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, सा.का.नि. 385 (अ) तारीख 31 मार्च, 2016 द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2016 का प्रारूप प्रकाशित किया था; और यह सूचना दी गई थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको इस राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

और, केन्द्रीय सरकार को प्रारूप आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2016 के संबंध में राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों राज्यों और इसके संगठनों, व्यक्तियों और सिविल समाज संगठनों से सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त हुए हैं;

और, ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो ऊपर उल्लिखित प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त हुए हैं, पर राज्य सरकारों और राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 25 और धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अभिप्रेत है;
 - (ख) "प्राधिकरण" से यथास्थिति राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, अभिप्रेत है;
 - (ग) "समिति" से नियम 6 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति अभिप्रेत है;
 - (घ) "पारिस्थितिकीय गुण" से पारिस्थितिकी प्रणाली घटकों, प्रक्रियाओं तथा सेवाओं का ऐसा संकलन अभिप्रेत है जो आर्द्रभूमियों की विशिष्टता चित्रित करता है;
 - (ङ) "एकीकृत प्रबंधन योजना" से कोई ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें आर्द्रभूमि का युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्यनीतियों और कार्रवाइयों का वर्णन किया गया है तथा इस योजना में स्थल प्रबंधन के उद्देश्य; उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन कार्रवाइयां, वे घटक, जो विभिन्न स्थल विशिष्टताओं को प्रभावित करते हैं, या प्रभावित कर सकते हैं; पारिस्थितिकीय स्वरूप में परिवर्तनों का पता लगाने के लिए और प्रबंधन की प्रभावितता के मापन के लिए अपेक्षित मानीटरी और कार्यान्वयन प्रबंधन कार्यान्वयन के लिए संसाधन सम्मिलित हैं;
 - (च) "रामसर अभिसमय" से 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमि संबंधी अभिसमय अभिप्रेत है;
 - (छ) "आर्द्रभूमि से कोई क्षेत्र या कच्छ पंक, पीटभूमि या जल; प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, जल जो ठहरा है या बहते, ताजे, खारे या लवणीय, जिसके अंतर्गत समुद्री जल का जिसकी गहराई ज्वार की स्थिति छह मीटर से अधिक की न हो अभिप्रेत है, परंतु इसमें नदी जल मार्ग, धान के खेत, पेयजल प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से मानव निर्मित जल निकाय/जलाशय, मत्स्यपालन, नमक उत्पादन और सिंचाई प्रयोजनों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित संरचनाएं सम्मिलित नहीं हैं;

- (ज) "आर्द्रभूमि परिसर" से दो या दो से अधिक पारिस्थितिकीय और जलीय समीपस्थ आर्द्रभूमियां तथा जिनमें उनसे जुड़े नाले/वाहिकाएं सम्मिलित हो सकती हैं, अभिप्रेत हैं;
- (झ) "आर्द्रभूमियों का युक्तियुक्त उपयोग" से सतत विकास के संदर्भ में पारिप्रणाली दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त पारिस्थितिकीय गुणों का रख-रखाव अभिप्रेत है;
- (ञ) "प्रभावित जोन" से आर्द्रभूमि या आर्द्रभूमि परिसर के आवाह-क्षेत्र का वह भाग जिस पर विकासात्मक कार्यकलापों के कारण पारिप्रणाली ढांचे, तथा पारिप्रणाली सेवाओं में प्रतिकूल परिवर्तन पड़ता है।
- (2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. नियमों का लागू होना.—ये नियम निम्नलिखित आर्द्रभूमियों या आर्द्रभूमि परिसरों को लागू होंगे, अर्थात्:-

- (क) रामसर अभिसमय के अधीन 'अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' के रूप में वर्गीकृत आर्द्रभूमियां;
- (ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित आर्द्रभूमियां।

परंतु ये नियम समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, राज्य वन अधिनियम तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पड़ने वाली आर्द्रभूमियों को लागू नहीं होंगे।

4. आर्द्रभूमियों में क्रियाकलापों पर निर्बंधन.—(1) आर्द्रभूमि का संरक्षण और प्रबंध, आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित 'युक्तियुक्त उपयोग' के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा।

(2) आर्द्रभूमि के भीतर, निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर-आर्द्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन;
- (ii) किसी उद्योग को स्थापित करना और विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना;
- (iii) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का विनिर्माण या हथालन या भंडारण या निपटान; परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण संबंधी नियम, 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम 2008 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ; ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाला ई-अपशिष्ट;
- (iv) ठोस अपशिष्ट का पाटन;
उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव वस्तियों से अशोधित अपशिष्ट और बहिस्त्रावों का निस्सारण;
- (v) किसी स्थायी प्रकृति का किसी निर्माण सिवाय नाव घाटों के, पचास मीटर के भीतर इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पिछले दस वर्षों में प्रेक्षित बाढ़ के औसतन उच्च स्तर से गणना की जाएगी; और
- (vi) अवैध शिकार।

परंतु केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी कार्यकलाप के विलोपन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर सकेगी।

5. आर्द्रभूमि प्राधिकरण.—(1) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) राज्य सरकार के पर्यावरण/वन विभाग का भारसाधक मंत्री या आर्द्रभूमि के विषय से संबंधित कार्य कर रहे भारसाधक मंत्री - अध्यक्ष;
- (ii) राज्य का मुख्य सचिव या समतुल्य अपर मुख्य सचिव - उपाध्यक्ष;
- (iii) पर्यावरण विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (iv) वन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (v) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (vi) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (vii) जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

- (viii) मत्स्यकी विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (x) पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (xi) राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (xii) निदेशक, राज्य सुदूर संवेदी केन्द्र – पदेन सदस्य;
- (xiii) मुख्य वन्यजीव वार्डन – पदेन सदस्य;
- (xiv) सदस्य सचिव, राज्य जैवविविधता बोर्ड – पदेन सदस्य;
- (xv) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – पदेन सदस्य;
- (xvi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का अपर प्रधान मुख्य संरक्षक – पदेन सदस्य;
- (xvii) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में से प्रत्येक का एक विशेषज्ञ जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; और
- (xviii) पर्यावरण/वन विभाग या आर्द्रभूमियों से संबंधित विभाग में अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/निदेशक - सदस्य सचिव।
- (2) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
- (i) संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या मुख्य सचिव – अध्यक्ष;
- (ii) पर्यावरण विभाग का भारसाधक सचिव – उपाध्यक्ष;
- (iii) वन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (iv) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (v) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (vi) जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (vii) मत्स्यकी विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (ix) पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (x) राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (xi) निदेशक, सुदूर संवेदी केन्द्र - पदेन सदस्य;
- (xii) सदस्य सचिव, संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति - पदेन सदस्य;
- (xiii) सदस्य सचिव, संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड - पदेन सदस्य;
- (xiv) मुख्य वन्यजीव वार्डन - पदेन सदस्य;
- (xv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - पदेन सदस्य;
- (xvi) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल-विज्ञान, मत्स्यकी, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों से एक-एक विशेषज्ञ जिसे संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; और
- (xvii) पर्यावरण/वन विभाग या आर्द्रभूमि हथालन विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक - सदस्य सचिव।
- (3) राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, तीन से अधिक, यदि अपेक्षित हों, अन्य सदस्यों, का सह-चयन, कर सकेंगे।
- (4) राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—
- (क) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सभी आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना;
- (ख) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर अधिसूचित की जाने वाली आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना; अन्य सुसंगत राज्य अधिनियमों के अधीन तैयार/अधिसूचित आर्द्रभूमियों की किसी विद्यमान सूची को संज्ञान में लेना;

- (ग) इन नियमों के अधीन विनियमन हेतु उनके संक्षिप्त दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात आर्द्रभूमियों की संस्तुति करना;
- (घ) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी आर्द्रभूमियों की व्यापक डिज़िटल सूची तैयार करना और उक्त प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित की जाने वाले डेडीकेटेड वेब पोर्टल पर इसे अपलोड करना; और इस सूची को प्रत्येक दस वर्ष में अद्यतन किया जाएगा;
- (ङ) अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर विनियमित और अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलापों और उनके प्रभाव क्षेत्र की विस्तृत सूची विकसित करना;
- (च) विनिर्दिष्ट आर्द्रभूमियों के लिए प्रतिपिद्ध कार्यकलापों की सूची में बढ़ोतरी, यदि कोई हो, की सिफारिश करना;
- (छ) आर्द्रभूमियों की अधिकारिता के भीतर उनके संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्यनीतियां पारिभाषित करना; यदि पारिस्थितिक प्रणाली के कार्यकलापों (जल भण्डारण, भू-जल संभरण, बाढ़-प्रतिरोधक जैसे) और मूल्य (मनोरंजन और सांस्कृतिक जैसे) का अनुरक्षण किया जाता है या उसमें अभिवृद्धि की जाती है; तो इन पारिस्थितिक प्रणाली को प्रबंधित करने के लिए एक सिद्धांत, जो संरक्षण के साथ संगत बहुनीय उपयोगों को समावेशित करता है (जैसे जीवन-निर्वाह स्तर हेतु मछली पकड़ना या जलीय वनस्पति की पैदावार करना) का विवेकपूर्ण उपयोग करना;
- (ज) प्रत्येक अधिसूचित आर्द्रभूमियों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना का पुनर्विलोकन करना (केन्द्रीय सरकार के समन्वयन से सीमा-पारीय आर्द्रभूमियों सहित), और इन योजनाओं के भीतर आर्द्रभूमियों, जो पारिस्थितिकीय स्वरूप के अनुकूल हैं, के पारम्परिक उपयोगों को जारी रखना और उसमें समर्थन देने पर विचार करना;
- (झ) उन मामलों में, जहां अधिसूचित आर्द्रभूमियों या आर्द्रभूमि परिसरों की सीमा के भीतर भूमि क्षेत्र का निजी भू-धारण अधिकार है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए कार्यकलापों के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्वरूप को बनाये रखने के लिए कार्यतंत्रों हेतु सिफारिश करना;
- (ञ) विद्यमान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के अभिसरण के लिए कार्यतंत्रों की पहचान करना;
- (ट) इन नियमों और अन्य सुसंगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना और अर्द्ध-वार्षिक आधार पर (प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जून और दिसम्बर पर) एक सूचना तंत्र के माध्यम से ऐसी अधिसूचित आर्द्रभूमियों की स्थिति पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या केन्द्रीय सरकार को सूचना देना;
- (ठ) विभिन्न संगत विभागों और अन्य संबंधित अभिकरणों के माध्यम से युक्तियुक्त उपयोग के सिद्धांत के आधार पर एकीकृत प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वयन करना;
- (ड) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के भीतर सभी आर्द्रभूमि विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;
- (ढ) संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों को आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत प्रबंधन हेतु आवश्यक निदेश जारी करना;
- (ण) आर्द्रभूमियों के मूल्यों और क्रियाकलापों के संबंध में पणधारियों और स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता के संवर्धन हेतु उपाय करना; और
- (त) स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य मामले पर सलाह देना।
- (5) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का संबंधित विभाग, प्राधिकरण के लिए नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और कार्य करेगा।
- (6) प्राधिकरण, इन नियमों के प्रकाशन के नब्बे दिन के भीतर :
- (क) संक्षिप्त दस्तावेजों और प्रबंध योजनाओं का पुनर्विलोकन करने तथा आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी तकनीकी विषय पर सलाह देने के लिए एक तकनीकी समिति का, और
- (ख) जनता द्वारा प्राधिकरण को की गई शिकायतों की सुनवाई करने और उन्हें अग्रपिठ करने के लिए एक कार्यतंत्र उपलब्ध कराने हेतु चार सदस्यों से मिलकर बनी एक शिकायत समिति का गठन करेगा।
- (7) उप-नियम (6) में निर्दिष्ट समितियां अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेंगी।
- (8) प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी।
- (9) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा तामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर-अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष की अवधि का होगा।

- 6. राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति का गठन.—**(1) केन्द्रीय सरकार, एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—
- (i) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष;
 - (ii) आर्द्रभूमि संबंधी कार्य देख रहे विशेष सचिव या अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – उपाध्यक्ष;
 - (iii) अपर महानिदेशक, वन्यजीव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (iv) आर्द्रभूमियों संबंधी कार्य देख रहे सलाहकार या संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय – पदेन सदस्य;
 - (v) संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (vi) संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (vii) संयुक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (viii) संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (ix) संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन सदस्य;
 - (x) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन सदस्य;
 - (xi) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - पदेन सदस्य;
 - (xii) निदेशक, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;
 - (xiii) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;
 - (xiv) निदेशक, अंतरिक्ष अनुप्रयुक्ति केंद्र, अहमदाबाद या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;
 - (xv) सदस्य केन्द्रीय जल आयोग - पदेन सदस्य;
 - (xvi) सलाहकार, नीति आयोग - पदेन सदस्य;
 - (xvii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के तीन प्रतिनिधि, चक्रानुक्रम आधार पर, प्रत्येक दो वर्ष के कार्यकाल के लिए;
 - (xviii) आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी क्षेत्र, भू-दृश्य योजना और सामाजिक अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में से प्रत्येक का एक-एक विशेषज्ञ; और
 - (xix) आर्द्रभूमि से संबंधित कार्य करने वाले निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य सचिव।
- (2) राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति, यदि अपेक्षित हो, तीन से अनधिक अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी।
- (3) राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:—
- (क) आर्द्रभूमियों के संरक्षण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए समुचित नीतियों और कार्रवाई सम्बन्धी कार्यक्रमों के विषय में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;
 - (ख) आर्द्रभूमियों के एकीकृत प्रबंधन के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के सिद्धान्त पर आधारित मानदंड और मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;
 - (ग) प्राधिकरण द्वारा इन नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना;
 - (घ) नियम 4 के उप नियम (2) में यथानिर्दिष्ट प्रतिषेधित क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त पुनरीक्षित प्रस्तावों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;
 - (ङ.) रामसर अभिसमय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को अभिहित किये जाने की सिफारिश करना;
 - (च) अधिसूचित किये जाने के लिए सीमापार आर्द्रभूमियों की सिफारिश करना;
 - (छ) रामसर स्थलों और सीमापार आर्द्रभूमियों के एकीकृत प्रबंध की प्रगति का पुनर्विलोकन करना;
 - (ज) आर्द्रभूमियों से संबंधित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के समन्वय के संबंध में सलाह देना; और
 - (झ) किसी अन्य मामले पर स्वप्रेरणा से सलाह देना या केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करना।

- (4) समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को कार्यकाल तीन वर्ष से अनधिक का नहीं होगा।
- (5) समिति प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
7. **राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन.**—(1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का सम्बद्ध विभाग इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिसूचित किये जाने हेतु अभिजात प्रत्येक आर्द्रभूमि के लिए एक संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उपबंध होगा:—
- (क) निर्देशांकों सहित यथार्थ डिजिटल मानचित्रों द्वारा समर्थित और जमीनी सत्यापन द्वारा विधिमान्य आर्द्रभूमि का सीमांकन;
- (ख) इसके प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन और डिजिटल मानचित्र में संकेतित उसका भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि क्षेत्र;
- (ग) पारिस्थितिक-स्वरूप का विवरण;
- (घ) पूर्वतः विद्यमान अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का लेखा;
- (ङ.) आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्त स्थल-विशिष्ट क्रियाकलाप की सूची;
- (च) आर्द्रभूमि और उसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित किये जाने वाले स्थल-विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची; और
- (छ) विनियमों के प्रवर्तन की रीति;
- (2) प्राधिकरण, संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किये जाने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को सिफारिश करेगा।
- (3) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा की गयी सिफारिश की तारीख से दो सौ चालीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर राजपत्र में आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करेगी।
- (4) (क) केन्द्रीय सरकार सीमा-पार आर्द्रभूमियों के मामले में, संक्षिप्त दस्तावेज, जिसमें उप-नियम (1) में यथा सूचीबद्ध सूचना दी गई हो, को तैयार करने में संबद्ध राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी।
- (ख) संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति आर्द्रभूमि को अधिसूचित किये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी।
- (ग) केन्द्रीय सरकार संबद्ध और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से दो सौ चालीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर आर्द्रभूमियों को राजपत्र में अधिसूचित करेगी।
- (5) (क) केन्द्रीय सरकार आर्द्रभूमियों से संबंधित सूचना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल का सृजन करेगी।
- (ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी अधिकारिता में की आर्द्रभूमियों के विषय में, सभी संबंधित सूचना अपलोड करेगी।

[फा. सं. जे-22012/78/2003-सीएस(डब्ल्यू) पार्ट.V]

डॉ. ए. दुरैसामी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2017

G.S.R. 1203(E).—Whereas the wetlands, vital parts of the hydrological cycle, are highly productive ecosystems which support rich biodiversity and provide a wide range of ecosystem services such as water storage, water purification, flood mitigation, erosion control, aquifer recharge, microclimate regulation, aesthetic enhancement of landscapes while simultaneously supporting many significant recreational, social and cultural activities, being part of our rich cultural heritage;

And whereas many wetlands are threatened by reclamation and degradation through drainage and landfill, pollution (discharge of domestic and industrial effluents, disposal of solid wastes), hydrological alteration (water withdrawal and changes in inflow and outflow), over-exploitation of their natural resources resulting in loss of biodiversity and disruption in ecosystem services provided by wetlands;

And whereas clause (g) of article 51A of the Constitution stipulates that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures;

And whereas the Environment (Protection) Act, 1986 is a comprehensive legislation to provide protection and improvement of the environment, including *inter-alia*, wetlands, and for matters connected therewith;

And whereas the National Environment Policy, 2006 recognises the ecosystem services provided by wetlands and emphasizes the need to set up a regulatory mechanism for all wetlands so as to maintain their ecological character, and ultimately support their integrated management;

And whereas India is a signatory to the Ramsar Convention on Wetlands and is committed to conservation and wise use of all wetlands within its territory;

And whereas the Central Government has published the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, vide number G.S.R. 951(E), dated the 4th December, 2010;

And whereas conservation and wise use of wetlands can provide substantial direct and indirect economic benefits to state and national economy, and thereby the Central Government stands committed to mainstreaming full range of wetland biodiversity and ecosystem services in development planning and decision making for various sectors;

And whereas the State Governments and Union Territory Administrations need to take into account wetland ecosystem services and biodiversity values likewise within their developmental programming and economic well-being, also taking into cognizance that land and water, two major ecological constituents of wetland ecosystems, are enlisted as State subjects as per the Constitution;

And whereas the Central Government considered it necessary to supersede the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010 for effective conservation and management of wetlands in the country;

And whereas the Central Government had, in exercise of the powers conferred by section 25, read with sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, published the draft Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2016, vide number G.S.R. 385 (E) dated 31st March, 2016 for information of the public likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules would be taken into consideration by the Central Government after expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette notification is made available to the public;

And whereas the Central Government has received the suggestions and objections from the State Governments, Union Territories and its organisations, individuals and civil society organisations on the draft Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2016;

And whereas the suggestions and objections received in response to the above mentioned draft rules have been duly considered by the Central Government in consultation with State Governments and Union Territory Administrations.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 25, read with sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 and section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 and in supersession of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules for conservation and management of wetlands, namely:—

1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.
- (2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986;
 - (b) "Authority" means the State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority, as the case may be;

- (c) "Committee" means the National Wetlands Committee referred to in rule 6;
- (d) "ecological character" means the sum of ecosystem components, processes and services that characterise the wetlands;
- (e) "integrated management plan" means a document which describes strategies and actions for achieving wise use of the wetland and the plan shall include objectives of site management; management actions required to achieve the objectives; factors that affect, or may affect, the various site features; monitoring requirements for detecting changes in ecological character and for measuring the effectiveness of management; and resources for management implementation;
- (f) "Ramsar Convention" means the Convention on Wetlands signed at Ramsar, Iran in 1971;
- (g) "wetland" means an area of marsh, fen, peatland or water; whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters, but does not include river channels, paddy fields, human-made water bodies/tanks specifically constructed for drinking water purposes and structures specifically constructed for aquaculture, salt production, recreation and irrigation purposes;
- (h) "wetlands complexes" means two or more ecologically and hydrologically contiguous wetlands and may include their connecting channels/ducts;
- (i) "wise use of wetlands" means maintenance of their ecological character, achieved through implementation of ecosystem approach within the context of sustainable development;
- (j) "zone of influence" means that part of the catchment area of the wetland or wetland complex, developmental activities in which induce adverse changes in ecosystem structure, and ecosystem services.
- (2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.
- 3. Applicability of rules.**—These rules shall apply to the following wetlands or wetlands complexes, namely:—
- (a) wetlands categorised as 'wetlands of international importance' under the Ramsar Convention;
- (b) wetlands as notified by the Central Government, State Government and Union Territory Administration:
- Provided that these rules shall not apply to the wetlands falling in areas covered under the Indian Forest Act, 1927, the Wild Life (Protection) Act, 1972, the Forest (Conservation) Act, 1980, the State Forest Acts, and the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 as amended from time to time.
- 4. Restrictions of activities in wetlands.**—(1) The wetlands shall be conserved and managed in accordance with the principle of 'wise use' as determined by the Wetlands Authority.
- (2) The following activities shall be prohibited within the wetlands, namely,-
- (i) conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind;
- (ii) setting up of any industry and expansion of existing industries;
- (iii) manufacture or handling or storage or disposal of construction and demolition waste covered under the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016; hazardous substances covered under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 or the Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms Genetically engineered organisms or cells, 1989 or the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008; electronic waste covered under the E-Waste (Management) Rules, 2016;
- (iv) solid waste dumping;
- (v) discharge of untreated wastes and effluents from industries, cities, towns, villages and other human settlements;
- (vi) any construction of a permanent nature except for boat jetties within fifty metres from the mean high flood level observed in the past ten years calculated from the date of commencement of these rules; and,
- (vii) poaching.

Provided that the Central Government may consider proposals from the State Government or Union Territory Administration for omitting any of the activities on the recommendation of the Authority.

5. Wetlands Authorities.—(1) The Central Government hereby constitutes the State Wetlands Authority in each State with the following members, namely:—

- (i) Minister In-charge of the Department of Environment/Forests of the State Government or Minister In-charge of the Department handling wetlands - Chairperson;
 - (ii) Chief Secretary of the State or Additional Chief Secretary equivalent - Vice Chairperson;
 - (iii) Secretary in-charge of the Department of Environment - Member *ex-officio*;
 - (iv) Secretary in-charge of the Department of Forests - Member *ex-officio*;
 - (v) Secretary in-charge of the Department of Urban Development - Member *ex-officio*;
 - (vi) Secretary in-charge of the Department of Rural Development - Member *ex-officio*;
 - (vii) Secretary in-charge of the Department of Water Resources - Member *ex-officio*;
 - (viii) Secretary in-charge of the Department of Fisheries - Member *ex-officio*;
 - (ix) Secretary in-charge of the Department of Irrigation and Flood Control - Member *ex-officio*;
 - (x) Secretary in-charge of the Department of Tourism - Member *ex-officio*;
 - (xi) Secretary in-charge of the Department of Revenue - Member *ex-officio*;
 - (xii) Director, State Remote Sensing Centre - Member *ex-officio*;
 - (xiii) Chief Wildlife Warden - Member *ex-officio*;
 - (xiv) Member Secretary, State Biodiversity Board - Member *ex-officio*;
 - (xv) Member Secretary, State Pollution Control Board - Member *ex-officio*;
 - (xvi) Additional Principal Chief Conservator of Forests of the Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member *ex-officio*;
 - (xvii) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning and socio-economics to be nominated by the State Government; and
 - (xviii) Additional Secretary/Joint Secretary/Director in the Department of Environment/Forests or Department handling wetlands - Member Secretary.
- (2) The Central Government hereby constitutes the Union Territory Wetlands Authority for each Union Territory with the following members, namely:—
- (i) Administrator or Chief Secretary of the Union Territory - Chairperson;
 - (ii) Secretary in-charge of the Department of Environment - Vice Chairperson;
 - (iii) Secretary in-charge of the Department of Forests - Member *ex-officio*;
 - (iv) Secretary in-charge of the Department of Urban Development - Member *ex-officio*;
 - (v) Secretary in-charge of the Department of Rural Development - Member *ex-officio*;
 - (vi) Secretary in-charge of the Department of Water Resources - Member *ex-officio*;
 - (vii) Secretary in-charge of the Department of Fisheries - Member *ex-officio*;
 - (viii) Secretary in-charge of the Department of Irrigation and Flood Control - Member *ex-officio*;
 - (ix) Secretary in-charge of the Department of Tourism - Member *ex-officio*;
 - (x) Secretary in-charge of the Departments of Revenue - Member *ex-officio*;
 - (xi) Director, Remote Sensing Centre - Member *ex-officio*;
 - (xii) Member Secretary, Union Territory Pollution Control Committee - Member *ex-officio*;

- (xiii) Member Secretary, Biodiversity Board of the UT - Member *ex-officio*;
 - (xiv) Chief Wildlife Warden - Member *ex-officio*;
 - (xv) Additional Principal Chief Conservator of Forests of the Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change- Member *ex-officio*;
 - (xvi) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning and socio-economics to be nominated by the Union Territory Administration; and
 - (xvii) Additional Secretary/Joint Secretary/Director in the Department of Environment/Forests or Department handling wetlands - Member Secretary.
- (3) The State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority may co-opt other members, not exceeding three in number, if required.
- (4) The State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-
- (a) prepare a list of all wetlands of the State or Union Territory within three months from the date of publication of these rules;
 - (b) prepare a list of wetlands to be notified, within six months from the date of publication of these rules; taking into cognizance any existing list of wetlands prepared/notified under other relevant State Acts;
 - (c) recommend identified wetlands, based on their Brief Documents, for regulation under these rules;
 - (d) prepare a comprehensive digital inventory of all wetlands within a period of one year from the date of publication of these rules and upload the same on a dedicated web portal to be developed by the Central Government for the said purpose; the inventory to be updated every ten years;
 - (e) develop a comprehensive list of activities to be regulated and permitted within the notified wetlands and their zone of influence;
 - (f) recommend additions, if any, to the list of prohibited activities for specific wetlands;
 - (g) define strategies for conservation and wise use of wetlands within their jurisdiction; wise use being a principle for managing these ecosystems which incorporates sustainable uses (such as capture fisheries at subsistence level or harvest of aquatic plants) as being compatible with conservation, if ecosystem functions (such as water storage, groundwater recharge, flood buffering) and values (such as recreation and cultural) are maintained or enhanced;
 - (h) review integrated management plan for each of the notified wetlands (including trans-boundary wetlands in coordination with Central Government), and within these plans consider continuation and support to traditional uses of wetlands which are harmonized with ecological character;
 - (i) in cases wherein lands within boundary of notified wetlands or wetlands complex have private tenancy rights, recommend mechanisms for maintenance of ecological character through promotional activities;
 - (j) identify mechanisms for convergence of implementation of the management plan with the existing State/Union Territory level development plans and programmes;
 - (k) ensure enforcement of these rules and other relevant Acts, rules and regulations and on half-yearly basis (June and December of each calendar year) inform the concerned State Government or Union Territory Administration or Central Government on the status of such notified wetlands through a reporting mechanism;
 - (l) coordinate implementation of integrated management plans based on wise use principle through various line departments and other concerned agencies;
 - (m) function as nodal authority for all wetland specific authorities within the State or Union Territory Administration;
 - (n) issue necessary directions for conservation and sustainable management of wetlands to the respective implementing agencies;

- (o) undertake measures for enhancing awareness within stakeholders and local communities on values and functions of wetlands; and
- (p) Advise on any other matter *suo-motu*, or as referred by the State Government/Union Territory Administration.
- (5) The concerned Department of the State Government or Union Territory shall provide all necessary support and act as nodal Department and Secretariat to the Authority.
- (6) The Authority shall, within ninety days of publication of these rules, shall constitute,—
 - (a) a technical committee to review brief documents, management plans and advise on any technical matter referred by the Wetland Authority; and
 - (b) a grievance committee consisting of four members to provide a mechanism for hearing and forwarding the grievances raised by public to the Authority;
- (7) The Committees referred to in sub-rule (6) shall meet at least once in every quarter to perform their functions.
- (8) The Authority shall meet at least thrice in a year.
- (9) The term of non-official members of the Authority nominated by State Government or Union Territory Administration, shall be for a period not exceeding three years.

6. Constitution of National Wetlands Committee.—(1) The Central Government, hereby constitutes the National Wetlands Committee with the following members, namely:—

- (i) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Chairperson;
- (ii) Special Secretary or Additional Secretary dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India-Vice Chairperson;
- (iii) Additional Director General, Wildlife, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Member *ex-officio*;
- (iv) Adviser or Joint Secretary dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member *ex-officio*;
- (v) Joint Secretary, Ministry of Tourism, Government of India- Member *ex-officio*;
- (vi) Joint Secretary , Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India- Member *ex-officio*;
- (vii) Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India- Member *ex-officio*;
- (viii) Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India- Member *ex-officio*;
- (ix) Joint Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India- Member *ex-officio*;
- (x) Joint Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India- Member *ex-officio*;
- (xi) The Chairman, Central Pollution Control Board - Member *ex-officio*;
- (xii) Director, Zoological Survey of India or Scientist F- Member *ex-officio*;
- (xiii) Director, Botanical Survey of India or Scientist F- Member *ex-officio*;
- (xiv) Director, Space Application Centre, Ahmedabad or Scientist F- Member *ex-officio*;
- (xv) Member, Central Water Commission - Member *ex-officio*;
- (xvi) Adviser, Niti Aayog - Member *ex-officio*;
- (xvii) Three representatives of State Government or Union Territory Administration on a rotational basis for a tenure of two years each;
- (xviii) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning & socio-economics; and

- (xix) Director/Additional Director/Joint Director dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member Secretary.
- (2) The National Wetlands Committee may co-opt other members, not exceeding three in number, if required.
- (3) The National Wetlands Committee shall perform the following functions, namely:-
- advise the Central Government on appropriate policies and action programmes for conservation and wise use of wetlands;
 - evolve norms and guidelines for integrated management of wetlands based on wise use principle;
 - monitor implementation of these rules by the Authority;
 - advise the Central Government on proposals received from State Governments or Union Territory Administrations for omission of the prohibited activities as referred in sub-rule (2) of rule 4;
 - recommend designation of wetlands of international importance under Ramsar Convention;
 - recommend trans-boundary wetlands for notification;
 - review progress of integrated management of Ramsar sites and transboundary wetlands;
 - advise on collaboration with international agencies on issues related to wetlands; and
 - advise on any other matter *suo-moto*, or as referred by the Central Government.
- (4) The tenure of non-official members of the Committee shall not exceed three years.
- (5) The Committee shall meet at least once in every six months.

7. Delegation of powers and functions to the State Governments and Union Territory Administrations.—

- (1) The concerned Department of the State Government or Union Territory Administration shall, within a period of one year from the date of publication of these rules, prepare a Brief Document for each of the wetland identified for notification, providing:—
- demarcation of wetland boundary supported by accurate digital maps with coordinates and validated by ground truthing;
 - demarcation of its zone of influence and land use and land cover thereof indicated in a digital map;
 - ecological character description;
 - account of pre-existing rights and privileges;
 - list of site-specific activities to be permitted within the wetland and its zone of influence;
 - list of site specific activities to be regulated within the wetland and its zone of influence; and
 - modalities for enforcement of regulation;
- (2) Based on the Brief Document, the Authority shall make recommendations to the State Government or Union Territory Administration for notifying the wetlands.
- (3) The State Government or Union Territory Administration shall, after considering the objections, if any, from the concerned and affected persons, notify the wetlands in the Official Gazette, within a period not exceeding 240 days from the date of recommendation by the Authority.
- (4) (a) In case of trans-boundary wetlands, the Central Government shall coordinate with concerned State Governments and Union Territory Administrations to prepare the Brief Document containing information as listed in sub-rule (1).
- (b) Based on the Brief Document, the National Wetlands Committee shall make recommendations to the Central Government for notification of the wetland.
- (c) The Central Government shall, after considering the objections, if any, from the concerned and affected persons, notify the wetlands in the Official Gazette, within a period not exceeding 240 days from the date of recommendation by the Committee.

- (5) (a) The Central Government shall create a dedicated web portal for information relating to wetlands.
- (b) The Central Government, State Government and Union Territory Administration shall upload all relevant information and documents pertaining to wetlands in their jurisdiction.

[F. No. J-22012/78/2003-CS (W) Pt. V]

Dr. A. DURAISAMY, Scientist 'G'

ANNEXURE-8

F. No. W-4/4/2022-WTL
Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
(Wetlands Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road, New Delhi -110003

Dated 8th March, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Protection of Wetlands as per Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017

The Hon'ble Supreme Court vide Order dated 4th October, 2017 in W.P. (C) No. 230 of 2001 has inter-alia, directed that, *"We make it clear and reiterate that in terms of our order dated 8th February, 2017, 2,01,503 wetlands that have been mapped by the Union of India should continue to remain protected on the same principles as were formulated in Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010"*.

2. The same has been communicated by this Ministry to all the States and UTs in November, 2017. Hon'ble NGT has also reiterated the same in various recent cases.

3. In view of above, it is once again clarified/reiterated that the 2,01,503 wetlands (>2.25 ha) as per the National Wetland Inventory and Assessment (NWIA), 2011 should be protected as per Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017. This protection is irrespective of the applicability of/notification as per the said Rules.

Ramesh

(Dr. M. Ramesh)
Scientist 'E'

Tel.: 011-20819249

Email: ramesh.motipalli@nic.in

To

The Member Secretaries of State and UT Wetlands Authorities

ANNEXURE-9

List of wetlands in Tikamgarh District							
S No	Wetland_ID	Wetland_Name	Village_Name	Tehsil_Name	District_Name	Patwari_Name	LGDCD
1	MP012473		Amarpur	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	APURVA RATHORE	457199
2	MP012467		Atariya	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	Kamlesh Kumar Yadav	457362
3	MP012400		Bhaira	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	LAXMIKANT KORI	457332
4	MP012483		Budera	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	BRAJESH KUMAR PRAJAPATI	457323
5	MP012395		Darguwan	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	KRISHNA KUMAR BHARTI	457338
6	MP012397		Dikoli chak-1	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	Rohit Kumar Namdeo	457329
7	MP012468		Ganeshganj khas	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	PARIYUL JAIN	457219
8	MP012392		Kawrata	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	bhupendra singh lodhi	457355
9	MP012475		Kenwar	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	DIPENDRA TIWARI	457307
10	MP012398		Lar khas	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	GANPAT PRASAD GOUND	457319
11	MP012399		Lar khas	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	GANPAT PRASAD GOUND	457319
12	MP012488		Laxmanpura	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	Pushpa Yadav	457322
13	MP012405		Madarkha tal	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	GANPAT PRASAD GOUND	457326
14	MP012391		Mithla khera	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	MAHENDRA VISHWAKARMA	948947
15	MP012472		Mokhra	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	ABHILASHA SHRIVASTAVA	457350
16	MP012403		Nanni tehri khas	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	GANPAT PRASAD GOUND	457327
17	MP012493		Nayagaon	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	JAY SINGH THAKUR	457331
18	MP012481		Purainiya	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	ARUN KUMAR KHARE	457337
19	MP012393		Rampura	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	APURVA RATHORE	457347
20	MP012478		Samarra	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	Radhika Goswami	457306
21	MP012479		Sukwaha	Badagaon Dhasan	Tikamgarh	DIPENDRA TIWARI	457305
22	MP012541		Baisa khas	Baldeogarh	Tikamgarh	Sahena Parveen	457038
23	MP012529		Baldeogarh (np)	Baldeogarh	Tikamgarh	Vikram Kumar Ahirwar	802127
24	MP012553		Balwantpura ugad	Baldeogarh	Tikamgarh	RITESH RAI	457083
25	MP012545		Banpura khurd	Baldeogarh	Tikamgarh	Preeti Sen	457037
26	MP012534		Bar	Baldeogarh	Tikamgarh	manmohan tiwari	457091
27	MP012520		Bhaira novar	Baldeogarh	Tikamgarh	Vikram Kumar Ahirwar	457077
28	MP012540		Bhelsi	Baldeogarh	Tikamgarh	MANPYARE SOUR	457079
29	MP012420		Bhelsi	Baldeogarh	Tikamgarh	MANPYARE SOUR	457079
30	MP012433		Bhitarwar	Baldeogarh	Tikamgarh	PRAHLAD KUMAR AHIRWAR	457032
31	MP012496		Brishbhanpura	Baldeogarh	Tikamgarh	Priyanka Yadav	457062
32	MP012505		Brishbhanpura	Baldeogarh	Tikamgarh	Priyanka Yadav	457062
33	MP012524		Chandooli	Baldeogarh	Tikamgarh	PRASHANT VERMA	457060
34	MP012514		Darguwan jagir	Baldeogarh	Tikamgarh	SHIVANI ITORIYA	457104
35	MP012513		Darguwan khalsa	Baldeogarh	Tikamgarh	Harinarayan Dubey	457105
36	MP012542		Devi nagar	Baldeogarh	Tikamgarh	NIDHI TIWARI	457042
37	MP012407		Duda khera	Baldeogarh	Tikamgarh	ANURAG TIWARI	457053
38	MP012511		Dudyan khera	Baldeogarh	Tikamgarh	Vikram Kumar Ahirwar	457076
39	MP012410		Dudyan khera	Baldeogarh	Tikamgarh	Vikram Kumar Ahirwar	457076
40	MP012485		Geden tal	Baldeogarh	Tikamgarh	Deepak Rathore	457118
41	MP012499		Gukhrai khas	Baldeogarh	Tikamgarh	RAHUL SEN	457065
42	MP012416	Gwal Sagar	Gwal sagar	Baldeogarh	Tikamgarh	Vikram Kumar Ahirwar	948944
43	MP012533		Hanumatpura	Baldeogarh	Tikamgarh	Anoop kumar khare	457075
44	MP012477		Harpura	Baldeogarh	Tikamgarh	Laxmi Prasad Shukla	457123
45	MP012490		Hata	Baldeogarh	Tikamgarh	KULDEEP PATSARIYA	457115
46	MP012419		Hirapur khas	Baldeogarh	Tikamgarh	PANKAJ KUMAR RAJ	457086
47	MP012547		Jatera	Baldeogarh	Tikamgarh	RITESH RAI	457080
48	MP012528		Jhinguan	Baldeogarh	Tikamgarh	ANURAG TIWARI	457044
49	MP012539		Jinagarh khas	Baldeogarh	Tikamgarh	Maniram yadav	457081
50	MP012492		Kannpur	Baldeogarh	Tikamgarh	Vivek Kumar Arya	457100
51	MP012491		Kannpur	Baldeogarh	Tikamgarh	Vivek Kumar Arya	457100
52	MP012543		Karmasan ghat	Baldeogarh	Tikamgarh	RAJENDRA RICHHARIYA	457047
53	MP012487		Kharila	Baldeogarh	Tikamgarh	Deepak Rathore	457099
54	MP012501		Kudyala	Baldeogarh	Tikamgarh	PANKAJ KUMAR RAJ	457108
55	MP012527		Ladwani khas	Baldeogarh	Tikamgarh	ABHISHEK JAIN	457045

S No	Wetland_ID	Wetland_Name	Village_Name	Tehsil_Name	District_Name	Patwari_Name	LGDCD
56	MP012530		Ladwani khas	Baldeogarh	Tikamgarh	ABHISHEK JAIN	457045
57	MP012497		Luharra	Baldeogarh	Tikamgarh	SANDEEP SHARMA	457056
58	MP012413		Madan sagar	Baldeogarh	Tikamgarh	ALEKH KUMAR DWIVEDI	457049
59	MP012562		Majjuwan	Baldeogarh	Tikamgarh	PRAHLAD KUMAR AHIRWAR	457033
60	MP012518		Narayan gangle	Baldeogarh	Tikamgarh	Ramesh Yadav	457127
61	MP012521		Narayan gangle	Baldeogarh	Tikamgarh	Ramesh Yadav	457127
62	MP012523		Narayan gangle	Baldeogarh	Tikamgarh	Ramesh Yadav	457127
63	MP012406		Narayanpur	Baldeogarh	Tikamgarh	Ramesh Yadav	457052
64	MP012503		Patori khalsa	Baldeogarh	Tikamgarh	SOURABH SHRIVASTAVA	457103
65	MP012519		Sarkar jagir	Baldeogarh	Tikamgarh	Aradhana Gohar	457087
66	MP012409		Sebar khas	Baldeogarh	Tikamgarh	ambreen ansari	457063
67	MP012548		Sujanpura	Baldeogarh	Tikamgarh	Maniram yadav	457085
68	MP012510		Sukora	Baldeogarh	Tikamgarh	SANDEEP SHARMA	457054
69	MP012495		Sukora	Baldeogarh	Tikamgarh	SANDEEP SHARMA	457054
70	MP012517		Surajpur khas	Baldeogarh	Tikamgarh	Anoop kumar khare	457113
71	MP012504		Talmau	Baldeogarh	Tikamgarh	ambreen ansari	457061
72	MP012532		Tamora	Baldeogarh	Tikamgarh	Anoop kumar khare	457073
73	MP012567		Bilgay khas	Dighora	Tikamgarh	shobharam sour	456686
74	MP012436		Bilgay khas	Dighora	Tikamgarh	shobharam sour	456686
75	MP012566		Chaturkari	Dighora	Tikamgarh	BALWANT SINGH YADAV	456790
76	MP012434		Chaturkari	Dighora	Tikamgarh	BALWANT SINGH YADAV	456790
77	MP012565		Chaturkari	Dighora	Tikamgarh	BALWANT SINGH YADAV	456790
78	MP012607	Digaura Bandha	Digoda	Dighora	Tikamgarh	IQWAL AHMED KHAN	456706
79	MP012599		Kuwarpura	Dighora	Tikamgarh	NISHTHA JAIN	456778
80	MP012449		Baharo tal	Jatara	Tikamgarh	Jitendra Kumar Vitthariya	456760
81	MP012629		Jatara (np)	Jatara	Tikamgarh	Ravi Dangi	802125
82	MP012638		Jatara (np)	Jatara	Tikamgarh	Ravi Dangi	802125
83	MP012640		Jatara (np)	Jatara	Tikamgarh	Ravi Dangi	802125
84	MP012631		Jatara (np)	Jatara	Tikamgarh	Ravi Dangi	802125
85	MP012580		Karmaura	Jatara	Tikamgarh	Krishanam Priyam Sonakiya	456764
86	MP012453	Madan Sagar	Madan sagar	Jatara	Tikamgarh	Ravi Dangi	948945
87	MP012615		Muhara jangal	Jatara	Tikamgarh	AJAY SOOTRAKAR	456777
88	MP012632		Muhara khas	Jatara	Tikamgarh	AJAY SOOTRAKAR	456776
89	MP012626		Muhara khas	Jatara	Tikamgarh	AJAY SOOTRAKAR	456776
90	MP012637		Rajnagar	Jatara	Tikamgarh	BASANT AGNIHOTRI	456756
91	MP012429		Balwantpura khas	Khargapur	Tikamgarh	JITENDRA KUSHWAHA	457128
92	MP012549		Chanderi khas	Khargapur	Tikamgarh	RAVI KANT SWARNKAR	457184
93	MP012584		Chhidari	Khargapur	Tikamgarh	PRAHLAD KUMAR BAGWAR	457161
94	MP012601		Dadgay khas	Khargapur	Tikamgarh	Jitendra Singh ghosh	457166
95	MP012575		Deri	Khargapur	Tikamgarh	JAY KUMAR JAIN	457159
96	MP012439		Deri	Khargapur	Tikamgarh	JAY KUMAR JAIN	457159
97	MP012441		Dhanera	Khargapur	Tikamgarh	Jitendra Singh ghosh	457162
98	MP012574		Gora	Khargapur	Tikamgarh	ILIYAS MOHAMMAD	457132
99	MP012572		Guna	Khargapur	Tikamgarh	PREMNARAYAN YADAV	457134
100	MP012440		Guna	Khargapur	Tikamgarh	PREMNARAYAN YADAV	457134
101	MP012576		Guna	Khargapur	Tikamgarh	PREMNARAYAN YADAV	457134
102	MP012424		Khargapur (np)	Khargapur	Tikamgarh	brajesh kumar jain	802128
103	MP012568		Khera	Khargapur	Tikamgarh	vinod kumar chadar	457156
104	MP012557		Kotra	Khargapur	Tikamgarh	Kailashnarayan Sour	457182
105	MP012560		Kotra	Khargapur	Tikamgarh	Kailashnarayan Sour	457182
106	MP012544		Kudila	Khargapur	Tikamgarh	sahdev kumar sahu	457179
107	MP012564		Madori	Khargapur	Tikamgarh	Pavan Jat	457131
108	MP012438		Matol khas	Khargapur	Tikamgarh	MANOJ KUMAR SOUR	457153
109	MP012577		Matol khas	Khargapur	Tikamgarh	MANOJ KUMAR SOUR	457153
110	MP012537		Patti Baldeosingh	Khargapur	Tikamgarh	DHARAMDAS AHIRWAR	457189
111	MP012559		Phuter chak-1	Khargapur	Tikamgarh	MAHESH RAJPOOT	457149
112	MP012570		Pipra	Khargapur	Tikamgarh	Pavan Jat	457133
113	MP012598		Ram sagara	Khargapur	Tikamgarh	PRAHLAD KUMAR BAGWAR	457168
114	MP012431		Sarkanpur khas	Khargapur	Tikamgarh	Pavan Jat	457129
115	MP012437		Sarkanpur ugad	Khargapur	Tikamgarh	JITENDRA KUSHWAHA	457130

S No	Wetland_ID	Wetland_Name	Village_Name	Tehsil_Name	District_Name	Patwari_Name	LGDCD
116	MP012465		Anantpur	Lidhaura	Tikamgarh	ARTI GURJAR	456738
117	MP012464		Chandera khas	Lidhaura	Tikamgarh	Neelesh Patel	456741
118	MP012651		Gotet khas	Lidhaura	Tikamgarh	UMESH KUMAR VISHWAKARMA	456739
119	MP012662		Kachhiyaguda	Lidhaura	Tikamgarh	RAMNARESH DANGI	456885
120	MP012466		Kharon	Lidhaura	Tikamgarh	PRADEEP KUMAR BHONDELE	456890
121	MP012663		Kharon	Lidhaura	Tikamgarh	PRADEEP KUMAR BHONDELE	456890
122	MP012667		Kharon	Lidhaura	Tikamgarh	PRADEEP KUMAR BHONDELE	456890
123	MP012664		Kharon	Lidhaura	Tikamgarh	PRADEEP KUMAR BHONDELE	456890
124	MP012666		Morpariya	Lidhaura	Tikamgarh	satish kumar ahirwar	456886
125	MP012656		Nagri	Lidhaura	Tikamgarh	RAHUL CHAURASIYA	456923
126	MP012654		Nagri	Lidhaura	Tikamgarh	RAHUL CHAURASIYA	456923
127	MP012628		Shahpur	Lidhaura	Tikamgarh	RAHUL CHAURASIYA	456714
128	MP012450		Shahpur	Lidhaura	Tikamgarh	RAHUL CHAURASIYA	456714
129	MP012627		Sitapur	Lidhaura	Tikamgarh	RAHUL CHAURASIYA	456715
130	MP012661		Sunrai	Lidhaura	Tikamgarh	PRADEEP KUMAR TIWARI	456884
131	MP012668		Tagedi	Lidhaura	Tikamgarh	satish kumar ahirwar	456911
132	MP012460	Barana	Varanataal	Lidhaura	Tikamgarh	SHIVANI PARMAR	456736
133	MP012455		Acharra khas	Mohangarh	Tikamgarh	NARENDRA KUMAR YADAV	456819
134	MP012590		Bihar	Mohangarh	Tikamgarh	Abhishek Khare	456870
135	MP012583		Bihar	Mohangarh	Tikamgarh	Abhishek Khare	456870
136	MP012458		Brishbhanpura	Mohangarh	Tikamgarh	DEEPESH KUMAR	456820
137	MP012608		Dargay kalan	Mohangarh	Tikamgarh	RAJKUMAR AHIRWAR	456848
138	MP012606		Dargay khurd	Mohangarh	Tikamgarh	AJENDRA KUMAR PASTORE	456842
139	MP012592		Gor	Mohangarh	Tikamgarh	LAKHAN LAL KUMHAR	456863
140	MP012587		Gor	Mohangarh	Tikamgarh	LAKHAN LAL KUMHAR	456863
141	MP012648		Hateri	Mohangarh	Tikamgarh	PARSADI SOUR	456794
142	MP012571		Jagat nagar	Mohangarh	Tikamgarh	AJIT KUMAR JAIN	456853
143	MP012630		Kanti	Mohangarh	Tikamgarh	RAJENDRA KUMAR AHIRWAR	456818
144	MP012611		Kodiya	Mohangarh	Tikamgarh	RAJKUMAR AHIRWAR	456866
145	MP012454		Kumhedral	Mohangarh	Tikamgarh	DEEPESH KUMAR	456813
146	MP012578		Lakhepur	Mohangarh	Tikamgarh	BRIJESH KUMAR KHARE	456839
147	MP012435		Mamrai	Mohangarh	Tikamgarh	chandresh kumar singh	456855
148	MP012595		Mastapur khas	Mohangarh	Tikamgarh	Rajendra Kumar Shukla	456833
149	MP012451		Mohangarh khas	Mohangarh	Tikamgarh	AJAY KUMAR AHIRWAR	456825
150	MP012462	Nadanwara	Nadanwara tal	Mohangarh	Tikamgarh	RAVI YADAV	456801
151	MP012603		Nadiya	Mohangarh	Tikamgarh	aashik ali	456871
152	MP012582		Padwar	Mohangarh	Tikamgarh	Abhishek Khare	456865
153	MP012588		Padwar	Mohangarh	Tikamgarh	Abhishek Khare	456865
154	MP012639		Tapariya	Mohangarh	Tikamgarh	Abhishek Khare	456822
155	MP012593		Tiladant	Mohangarh	Tikamgarh	ARVIND KUMAR JAIN	456846
156	MP012443		Tiladant	Mohangarh	Tikamgarh	ARVIND KUMAR JAIN	456846
157	MP012586		Toriya bhorkhari	Mohangarh	Tikamgarh	ARVIND KUMAR JAIN	456847
158	MP012623		Toriya suklan	Mohangarh	Tikamgarh	AJAY KUMAR AHIRWAR	456869
159	MP012621		Vangaon	Mohangarh	Tikamgarh	AJAY KUMAR AHIRWAR	456850
160	MP012569		Vijaypur	Mohangarh	Tikamgarh	MOHAMMAD TARIQ	456860
161	MP012573		Vijaypur	Mohangarh	Tikamgarh	MOHAMMAD TARIQ	456860
162	MP012447		Vijrawan	Mohangarh	Tikamgarh	DHARNIDHAR SOUR	456868
163	MP012609		Vijrawan	Mohangarh	Tikamgarh	DHARNIDHAR SOUR	456868
164	MP012650		Alampura khas	Palera	Tikamgarh	mohit ahirwar	457014
165	MP012579		Alopa	Palera	Tikamgarh	Ramprasad Gound	456982
166	MP012643		Atrar	Palera	Tikamgarh	suneel kumar ahirwar	457006
167	MP012457		Atrar	Palera	Tikamgarh	suneel kumar ahirwar	457006
168	MP012444		Charee	Palera	Tikamgarh	nitin mishra	456996
169	MP012594		Chhidara	Palera	Tikamgarh	mukul singh chandel	457031
170	MP012616		Chor tanga	Palera	Tikamgarh	rampriti singh	456992

S No	Wetland_ID	Wetland_Name	Village_Name	Tehsil_Name	District_Name	Patwari_Name	LGDCD
171	MP012612		Dantgora khas	Palera	Tikamgarh	KRIPENDRA AHIRWAR	457027
172	MP012659		Dardora	Palera	Tikamgarh	ABHISHEK PASTORE	456963
173	MP012456	Dharm Sagar	Dharam sagar	Palera	Tikamgarh	Hariram Gound	456954
174	MP012646		Dinau	Palera	Tikamgarh	Amit Kumar Tiwari	456932
175	MP012448		Ghooratal	Palera	Tikamgarh	roopak singh	456985
176	MP012660		Gona	Palera	Tikamgarh	manish khare	456976
177	MP012602		Guda najdik pali	Palera	Tikamgarh	Ramprasad Gound	456986
178	MP012641		Hanota	Palera	Tikamgarh	ramcharan ahirwar	457017
179	MP012652		Kachhaura khas	Palera	Tikamgarh	ABHISHEK PASTORE	456961
180	MP012622		Karrai	Palera	Tikamgarh	ABHISHEK RAI	457011
181	MP012614		Kishunpura	Palera	Tikamgarh	KRIPENDRA AHIRWAR	457025
182	MP012647		Kudyala	Palera	Tikamgarh	priyanka yadav	456951
183	MP012625		Lahar bujurg	Palera	Tikamgarh	ramprit singh	457010
184	MP012461		Laroun	Palera	Tikamgarh	Rajendra Sutrarakar	457012
185	MP012618		Lidhora naj. tori	Palera	Tikamgarh	kalicharan ahirwar	456990
186	MP012581		Magrai	Palera	Tikamgarh	Laxmi Rajpoot	456978
187	MP012585		Magrai	Palera	Tikamgarh	Laxmi Rajpoot	456978
188	MP012610		Morramanna	Palera	Tikamgarh	Ramprasad Gound	456987
189	MP012605		Morramanna	Palera	Tikamgarh	Ramprasad Gound	456987
190	MP012459		Murrah bandh	Palera	Tikamgarh	ramcharan ahirwar	457018
191	MP012636		Murraha baba	Palera	Tikamgarh	Ramnarayan khatik	457022
192	MP012634		Murraha baba	Palera	Tikamgarh	Ramnarayan khatik	457022
193	MP012635		Palera khas	Palera	Tikamgarh	rakesh kumar kushwaha	802126
194	MP012452		Palera khas	Palera	Tikamgarh	rakesh kumar kushwaha	802126
195	MP012596		Pali	Palera	Tikamgarh	ASHISH KUMAR DWIVEDI	456981
196	MP012600		Pali	Palera	Tikamgarh	ASHISH KUMAR DWIVEDI	456981
197	MP012604		Pali	Palera	Tikamgarh	ASHISH KUMAR DWIVEDI	456981
198	MP012657		Para	Palera	Tikamgarh	rahul sen	456972
199	MP012446		Pureniya	Palera	Tikamgarh	mukul singh chandel	457024
200	MP012445		Ramnagar bujurg	Palera	Tikamgarh	mukul singh chandel	457029
201	MP012597		Ramnagar ugad	Palera	Tikamgarh	mukul singh chandel	457030
202	MP012442		Rampura urf nivawari	Palera	Tikamgarh	brajendra khare	456995
203	MP012589		Rampura urf nivawari	Palera	Tikamgarh	brajendra khare	456995
204	MP012591		Rampura urf nivawari	Palera	Tikamgarh	brajendra khare	456995
205	MP012645		Simra khurd	Palera	Tikamgarh	lakhan lal ahirwar	456957
206	MP012644		Simra khurd	Palera	Tikamgarh	lakhan lal ahirwar	456957
207	MP012642		Simra khurd	Palera	Tikamgarh	lakhan lal ahirwar	456957
208	MP012390		Teela nareni	Palera	Tikamgarh	awadhes kumar dubey	456942
209	MP012655		Touriya khas	Palera	Tikamgarh	anurag pathak	456968
210	MP012665		Vijaypur	Palera	Tikamgarh	kalicharan ahirwar	456971
211	MP012394		Astaun chak-2	Tikamgarh	Tikamgarh	Neeraj Chaurasiya	457283
212	MP012482		Astaun khas	Tikamgarh	Tikamgarh	Neeraj Chaurasiya	457281
213	MP012401		Bakpura	Tikamgarh	Tikamgarh	SAGAR KUMAR JAIN	457298
214	MP012484		Bamhori judawan	Tikamgarh	Tikamgarh	DISHA AGNIHOTRI	457291
215	MP012396	Nagda Sagar	Bamhori madiya	Tikamgarh	Tikamgarh	DISHA AGNIHOTRI	457287
216	MP012552		Bamhori nakiban	Tikamgarh	Tikamgarh	CHANDNI SHARMA	457239
217	MP012555		Bamhori nakiban	Tikamgarh	Tikamgarh	CHANDNI SHARMA	457239
218	MP012554		Bamhori nakiban	Tikamgarh	Tikamgarh	CHANDNI SHARMA	457239
219	MP012561		Bhadra	Tikamgarh	Tikamgarh	Monika Dwivedi	457243
220	MP012515		Budki khera	Tikamgarh	Tikamgarh	Rajkumar Chourasia	457297
221	MP012474		Dhanwaha	Tikamgarh	Tikamgarh	BRIJESH TIWARI	457278
222	MP012550		Gopalpura bhata	Tikamgarh	Tikamgarh	RAMKRISHAN GOUND	457201
223	MP012546		Gopalpura bhata	Tikamgarh	Tikamgarh	RAMKRISHAN GOUND	457201
224	MP012422		Gopalpura bhata	Tikamgarh	Tikamgarh	RAMKRISHAN GOUND	457201
225	MP012486		Gudanwara	Tikamgarh	Tikamgarh	MUKESH KUSHWAHA	457304
226	MP012531		Hajuri nagar	Tikamgarh	Tikamgarh	priti mishra	457231
227	MP012427		Kari (np)	Tikamgarh	Tikamgarh	Chhatrapal Singh Yadav	802129
228	MP012428		Kari (np)	Tikamgarh	Tikamgarh	Chhatrapal Singh Yadav	802129
229	MP012480		Karmarai	Tikamgarh	Tikamgarh	NITIN SEN	457274
230	MP012502		Madhumar khas	Tikamgarh	Tikamgarh	Sheetal Arya	457259
231	MP012509		Madhumar khas	Tikamgarh	Tikamgarh	Sheetal Arya	457259
232	MP012498		Madhumar khas	Tikamgarh	Tikamgarh	Sheetal Arya	457259
233	MP012508		Madhuwan	Tikamgarh	Tikamgarh	Sheetal Arya	457257
234	MP012500		Madhuwan	Tikamgarh	Tikamgarh	Sheetal Arya	457257

S No	Wetland_ID	Wetland_Name	Village_Name	Tehsil_Name	District_Name	Patwari_Name	LGDCD
235	MP012494		Madhuwan	Tikamgarh	Tikamgarh	Sheetal Arya	457257
236	MP012516		Madhuwan	Tikamgarh	Tikamgarh	Sheetal Arya	457257
237	MP012506		Madhuwan	Tikamgarh	Tikamgarh	Sheetal Arya	457257
238	MP012411		Madhuwan	Tikamgarh	Tikamgarh	Sheetal Arya	457257
239	MP012507		Madhuwan	Tikamgarh	Tikamgarh	Sheetal Arya	457257
240	MP012414		Maharajpura	Tikamgarh	Tikamgarh	SATYENDRA SINGH YADAV	457217
241	MP012415		Maharajpura	Tikamgarh	Tikamgarh	SATYENDRA SINGH YADAV	457217
242	MP012432		Majana bhata	Tikamgarh	Tikamgarh	VINOD KUMAR JAIN	457238
243	MP012551		Majana khas	Tikamgarh	Tikamgarh	VINOD KUMAR JAIN	457240
244	MP012417		Mamaun	Tikamgarh	Tikamgarh	SHOBHA RAM AHIRWAR	457227
245	MP012423		Mavai khas	Tikamgarh	Tikamgarh	BALRAM AHIRWAR	457236
246	MP012421		Mavai khas	Tikamgarh	Tikamgarh	BALRAM AHIRWAR	457236
247	MP012538		Narguda khas	Tikamgarh	Tikamgarh	AKSHAYA NAGAICH	457225
248	MP012536		Narguda khas	Tikamgarh	Tikamgarh	AKSHAYA NAGAICH	457225
249	MP012535		Narguda khas	Tikamgarh	Tikamgarh	AKSHAYA NAGAICH	457225
250	MP012525		Parsuwa	Tikamgarh	Tikamgarh	SHEETAL JAISWAL	457253
251	MP012489		Patha khas	Tikamgarh	Tikamgarh	DINESH KUMAR CHADAR	457289
252	MP012402		Patha khas	Tikamgarh	Tikamgarh	DINESH KUMAR CHADAR	457289
253	MP012404		Patha khas	Tikamgarh	Tikamgarh	DINESH KUMAR CHADAR	457289
254	MP012556		Raipur	Tikamgarh	Tikamgarh	Monika Dwivedi	457241
255	MP012430		Raipur	Tikamgarh	Tikamgarh	Monika Dwivedi	457241
256	MP012408		Rigaura	Tikamgarh	Tikamgarh	SHAHNAZ PARVEEN	457294
257	MP012563		Sunoni	Tikamgarh	Tikamgarh	CHANDNI SHARMA	457242
258	MP012558		Sunoni	Tikamgarh	Tikamgarh	CHANDNI SHARMA	457242
259	MP012418		Tikamgarh kila	Tikamgarh	Tikamgarh	SUDHEER VIDUA	948941
260	MP012522		Tikamgarh kila	Tikamgarh	Tikamgarh	SUDHEER VIDUA	948941
261	MP012526		Tikamgarh kila	Tikamgarh	Tikamgarh	SUDHEER VIDUA	948941
262	MP012412	Mahendra Sagar	Tikamgarh tal	Tikamgarh	Tikamgarh	SUDHEER VIDUA	948942

ANNEXURE-10

Supreme Court Matter – Most Immediate
(by e-mail)

File No. W/30/2024-WTL
Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
(Wetlands Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road
New Delhi-110003

Date: 20.12.2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: W.P. (C) No.304/2018 – Anand Arya vs. Union of India along with W.P. (C) No.230/2001 and W.P. (C) No.302/2020 before the Hon'ble Supreme Court – **Demarcation of wetland boundary supported by accurate digital maps with coordinates and validated by ground truthing.**

This is in continuation to Ministry's O.M. No. J-22012/17/2020-CS (W) dated 11.10.2024 regarding detailed compliance of the Wetlands (Conservation & Management) Rules, 2017 and all other steps taken by the States/UTs for wetlands conservation with reference to the Hon'ble Supreme Court's order dated 01.10.2024 in the above captioned matters.

2. Vide order dated 11.12.2024, the Hon'ble Supreme Court inter-alia directed that, ***each of the State/UT Wetland Authorities shall complete ground truthing as well as the demarcation of wetland boundaries of each of the Wetland which have been identified for their State by Space Application Center Atlas (SAC Atlas), 2021 as expeditiously as possible, but definitely within a period of three months from 11.12.2024 (copy attached).***
3. The Ministry has assigned Knowledge Partners (KPs) of wetlands to each State/UT to assist them in various aspects of wetlands conservation. The States/UTs may enter into a formal agreement with them (**list of KPs attached**).
4. Since the directions of the Hon'ble Supreme Court are to be complied within a maximum period of three months (from 11.12.2024), it is requested that action in this regard may be taken up at the earliest. Regular progress and compliance may also be monitored through Additional Chief Secretary/Principal Secretary of Environment/Forest Department of the State/UT for ensuring time bound compliance of the directions.
5. Since, the Ministry is required to do monitoring with each State/UT and file a detailed affidavit, it is requested to provide a **time-bound action plan latest by 31.12.2024 on top priority. Subsequently, a progress report may also be sent to the Ministry on a fortnightly basis.**



(Dr. Ramesh M.)
Scientist 'F'

Tel.: 011-20819338

Email: ramesh.motipalli@nic.in

To

1. The Chief Secretaries/Administrators of States/UTs
2. The Member Secretaries of State & UT Wetlands Authorities

Copy to:

1. PSO to Secretary(EF&CC)
2. Sr. PPS to SS (TK)
3. PPS to JS(RA)
4. All officers of Wetlands Division

ITEM NO.6

COURT NO.13

SECTION PIL-W

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

Writ Petition(s)(Civil) No(s). 304/2018

ANAND ARYA

Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA

Respondent(s)

(IA No. 131361/2018 - INTERVENTION APPLICATION)

WITH

W.P.(C) No. 230/2001 (PIL-W)
(I.A.NO.203606/2022 IN W.P.(C)NO.230/2001
IA No. 203606/2022 - INTERVENTION APPLICATION)

W.P.(C) No. 302/2020 (PIL-W)
(FOR impleading party ON IA 172736/2024
FOR INTERVENTION/IMPLEADMENT ON IA 172736/2024
FOR APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS ON IA 172737/2024
IA No. 172737/2024 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS
IA No. 172736/2024 - INTERVENTION/IMPLEADMENT)

Date : 11-12-2024 These matters were called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SUDHANSHU DHULIA
HON'BLE MR. JUSTICE AHSANUDDIN AMANULLAH

For Petitioner(s) Mr. Gopal Sankaranarayan, Sr. Adv.
Ms. Trisha Chandran, Adv.
Mr. Naresh Kumar, AOR

Mr. Jayant Bhushan, Sr. Adv.
Ms. Reena George, Adv.
Mr. Rohit Kumar Singh, AOR
Mr. Amartya Bhushan, Adv.
Mr. Yojit Mehra, Adv.

Ms. Anitha Shenoy, Sr. Adv.
Ms. Shibani Ghosh, AOR
Ms. Ayushma Awasthi, Adv.
Ms. Himanshi Gupta, Adv.

For Respondent(s) Ms. Aishwarya Bhati, A.S.G.
Ms. Swarupma Chaturvedi, Sr. Adv.
Ms. Manisha Chava, Adv.
Mr. Gurmeet Singh Makker, AOR

Mr. Bhuvan Mishra, Adv.
Mr. Aman Sharma, Adv.
Ms. Sunita Sharma, Adv.
Mr. Rohan Gupta, Adv.

Mr. P. V. Yogeswaran, AOR

Mr. Manish Kumar, AOR
Mr. Ravi Shanker Jha, Adv.

Mr. Kunal Verma, AOR

Ms. Sumita Hazarika, AOR
Mr. Shiv Sagar Tiwari, AOR

Mr. Shiv Mangal Sharma, A.A.G.
Mr. Manish Chaubey, Adv.
Mr. Milind Kumar, AOR

Mr. Anil Shrivastav, AOR
Mr. Ashok Kumar Singh, AOR

Mr. Guntur Pramod Kumar, AOR
Ms. Prerna Singh, Adv.
Mr. Samarth Krishan Luthra, Adv.
Mr. Dhruv Yadav, Adv.

Mr. Shuvodeep Roy, AOR
Mr. Deepayan Dutta, Adv.
Mr. Saurabh Tripathi, Adv.

Mr. Abhimanyu Tewari, AOR
Ms. Eliza Bar, Adv.

Mrs. Aishwarya Bhati, A.S.G.
Mrs. Swarupama Chaturvedi, Sr. Adv.
Mr. A K Panda, Adv.
Mr. Wasim Qadri, Sr. Adv.
Mrs. Ruchi Kohli, Sr. Adv.
Mr. Mukesh Kumar Maroria, AOR
Mr. Sunita Sharma, Adv.
Mr. Rohit Pandey, Adv.

Ms. Swati Ghildiyal, AOR
Mr. Prashant Bhagwati, Adv.
Ms. Devyani Bhatt, Adv.

Ms. Supriya Juneja, AOR

Mr. Anand Sharma, Adv.
Mr. Sandeep Jindal, AOR
Mr. Vishwanathan Iyer, Adv.

Mr. Arman Sharma, Adv.
 Mrs. Shimpy Sharma, Adv.
 Ms. Pooja Sharma, Adv.
 Mr. Yeshasvi Shrivastava, Adv.

Mr. Parth Awasthi, Adv.
 Mr. Pashupathi Nath Razdan, AOR

Mr. V. N. Raghupathy, AOR

Mr. Nishe Rajen Shonker, AOR
 Mrs. Anu K Joy, Adv.
 Mr. Alim Anvar, Adv.

Mr. Sunny Choudhary, AOR
 Mr. Abhimanyu Singh Ga, Adv.
 Mr. Sarad Kumar Singhania Aor, Adv.
 Ms. Rashmi Singhania, Adv.

Mr. Bharat Bagla, Adv.
 Mr. Siddharth Dharmadhikari, Adv.
 Mr. Aaditya Aniruddha Pande, AOR

Mr. Pukhrambam Ramesh Kumar, AOR
 Mr. Karun Sharma, Adv.
 Ms. Rajkumari Divyasana, Adv.

Mr. Avijit Mani Tripathi, AOR
 Mr. Upendra Mishra, Adv.
 Mr. P. S. Negi, Adv.
 Mr. T.k. Nayak, Adv.

Mr. Anando Mukherjee, AOR
 Mr. Shwetank Singh, Adv.

Ms. K. Enatoli Sema, AOR
 Ms. Limayinla Jamir, Adv.
 Mr. Amit Kumar Singh, Adv.
 Ms. Chubalemla Chang, Adv.
 Mr. Prang Newmai, Adv.

Mr. Gaurav Khanna, AOR
 Ms. Natasha Sahrawat, Adv.
 Mr. Rudraksh Pandey, Adv.
 Mr. Gautam Barnwal, Adv.
 Ms. Deepali Bhanot, Adv.
 Ms. Alisha Roy, Adv.

Ms. Baani Khanna, AOR
 Mr. Robin Singh, Adv.
 Mr. Rohit Kumar, Adv.
 Mr. Siddharth Mishra, Adv.

Mr. Sameer Abhyankar, AOR
 Mr. Rahul Kumar, Adv.
 Mr. Aakash Thakur, Adv.
 Mr. Aryan Srivastava, Adv.
 Ms. Ayushi Bansal, Adv.
 Mr. Sarthak Dora, Adv.

Ms. Purnima Krishna, AOR
 Mr. M.f. Philip, Adv.
 Mr. Karamveer Singh Yadav, Adv.

Mr. R. Ayyam Perumal, AOR

Ms. Garima Prashad, A.A.G.
 Mr. Sudeep Kumar, AOR
 Mr. Abhishek Saket, Adv.
 Ms. Manisha, Adv.
 Ms. Rupali, Adv.

Mr. Srisatya Mohanty, Adv.
 Ms. Astha Sharma, AOR
 Ms. Ripul Swati Kumari, Adv.

Ms. Aishwarya Bhati, A.S.G.
 Ms. Swarupama Chaturvedi, Sr. Adv.
 Mr. S.wasim A. Qadri, Sr. Adv.
 Mr. Ashok Kumar Panda, Sr. Adv.
 Ms. Ruchi Kohli, Sr. Adv.
 Mr. Varun Chugh, Adv.
 Mr. Krishna Kant Dubey, Adv.
 Mr. Bhuvan Kapoor, Adv.
 Mr. Neeraj Kumar Sharma, Adv.
 Ms. Indira Bhakar, Adv.
 Ms. Sunita Sharma, Adv.
 Mr. Gautam Kumar, Adv.
 Mr. N Visakamurthy, aor, Adv.
 Mr. Shreekant Neelappa Terdal, AOR

Mr. Aravindh S., AOR
 Mr. Abbas B, Adv.
 Mr. Aman Gautam, Adv.

Ms. Suveni Bhagat, AOR

Mr. Gopal Prasad, AOR

Ms. Srishti Agnihotri, AOR
 Ms. Sanjana Grace Thomas, Adv.
 Mr. D.p.singh, Adv.
 Ms. Tara Elizabeth Kurien, Adv.

Mr. Shishir Pinaki, AOR
Mr. Dhanaeswar Gudapalli, Adv.
Ms. Mallika Das, Adv.
Mr. Nandi Kiran Kumar, Adv.

Mr. Akash Vashista, Adv.
Mr. Rishi Sehgal, AOR
Mr. Midhun Aggarwal, Adv.
Ms. Vaishnavi, Adv.

**UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R**

Prior to 2017, the figures given by ISRO regarding the number of wetlands in India having an area more than 2.25 Hectares was 2,01,503. The latest ISRO data, which is of the year 2021, shows that this figure has now increased to 2,31,195.

Now these figures have to be checked on ground. The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 (in short, "the Rules") and the guidelines issued thereunder prescribe that the next step after identification of such wetlands is what is called Ground truthing, which is the term given to the actual inspection of these wetlands by a team constituted by the State for that purpose. This step has, however, been neglected by almost all the States, except the State of Punjab to some extent. As regards demarcation of these wetlands all States have done almost nothing up till now.

We have been informed at the Bar that each State presently has a Wetland Authority. In fact, reading of Rule 5 suggests that the State Wetlands Authority has already been constituted. Rule 5, by which the State Wetland Authority as well as such Authorities in the Union Territories have been

constituted and the powers to these Authorities have been given, reads as under :-

“Wetland Authorities – (1) The Central Government hereby constitutes the State Wetlands Authority in each State with the following members, namely ; -

XXXXX

(2) The Central Government hereby constitutes the Union Territory Wetlands Authority for each Union Territory with the following members, namely -

XXXX

(3) The State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority may co-opt other members, not exceeding three in number, if required.

(4) The State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely :-

a) Prepare a list of all wetlands of the State or UT within three months from the date of publication of these rules;

b) Prepare a list of wetlands to be notified, within six months from the date of publication of these Rules, taking into cognizance any existing list of wetlands prepared/notified under other relevant State

Acts;

c) Recommend identified wetlands, based on their Brief Documents, for regulation under these rules;

d) Prepare a comprehensive digital inventory of all wetlands within one year from the date of publication of these rules and upload the same on a dedicated web portal, to be developed by the Central Government for the said purpose; the inventory ought to be updated every ten years;

e) Develop a comprehensive list of activities, to be regulated and permitted within the notified wetlands and their zone of influence;

f) Recommend additions, if any, to the list of prohibited activities for specific wetlands;

g) Define strategies for conservation and wise use of wetlands within their jurisdiction; wise use being a principle for managing these ecosystems which incorporates sustainable uses (such as capture fisheries at subsistence level or harvest of aquatic plants) as being compatible with conservation, if ecosystem functions (such as water storage, ground water recharge, flood buffering) and values (such as recreation and cultural) are maintained or enhanced ;

- h) Review Integrated Management Plan for each of the notified wetlands (including trans-boundary wetlands in coordination with Central Government), and within these plans to consider continuation and support to traditional uses of wetlands that are harmonized with ecological character;*
- l) Recommend mechanisms for maintenance of ecological character through promotional activities for land within the boundary of notified wetlands or wetlands complex have private tenancy rights,;*
- j) Identify mechanisms for convergence of implementation of the management plan with the existing State/UT level development plans and programmes;*
- k) Ensure enforcement of these rules and other relevant Acts, rules and regulations and on a half-yearly basis (June and December of each calendar year) inform the concerned State Government or UT Administration or Central Government on the status of such notified wetlands through a reporting mechanism;*
- l) Coordinate implementation of Integrated Management Plans based on wiseuse principle through various line departments and other concerned agencies;*

m) Function as a nodal authority for all wetland - specific authorities within the State or UT Administration;

n) Issue necessary directions for the conservation and sustainable management of wetlands to the respective implementing agencies.

o) Undertake measures for enhancing awareness within stakeholders and local communities on values and functions of wetlands; and

p) Advise on any other matter suo-motu, or as referred by the State Government/UT Administration.

(5) The concerned Department of the State Government or Union Territory shall provide all necessary support and act as nodal Department and Secretariat to the Authority.

(6) The Authority shall, within ninety days of publication of these rules, shall constitute -

(a) a technical committee to review brief documents, management plans and advise on any technical matter referred by the Wetland Authority and

(b) a grievance committee consisting of four members to provide a mechanism for hearing

and forwarding the grievances raised by public to the Authority;

(7) The Committees referred to in sub-rule (6) shall meet at least once in every quarter to perform their functions.

(8) The Authority shall meet at least thrice in a year.

(9) The term of non-official members of the Authority nominated by State Government or Union Territory Administration, shall be for a period not exceeding three years.”

It is clear now that the ground truthing and the demarcation of wetland boundary is the next step, which is to be undertaken by each of the State/UT Wetland Authorities in coordination with concerned nodal Department as provided under the Rules. It is a Statutory function which has been assigned to them under the Rules. We, therefore, direct each of the State/UT Wetland Authorities to complete ground truthing as well as the demarcation of wetland boundaries of each of the Wetland which have been identified for their State by Space Application Center Atlas (SAC Atlas), 2021.

For easy accessibility of this, each of the State/UT Wetland Authorities shall complete this work as expeditiously as possible, but definitely within a period of three months from today. Ms. Aishwarya Bhati, learned Additional Solicitor General, has assured this Court that they shall be doing the monitoring with each of the State and shall file a detailed affidavit before the

next date of listing.

Vide our order dated 03.04.2017 (in Writ Petition (C) No. 230 of 2001), this Court has passed certain directions regarding protection of Ramsar Convention Sites (of wetlands) to be monitored by each of the High Court concerned and 15 High Courts were given such a direction. The relevant portion of order dated 03.04.2017 is reproduced as under :-

"We have put it to learned counsel for the petitioner that insofar as the Ramsar Convention sites are concerned, since they are matters of international heritage, it might be more appropriate if the concerned High Courts monitor the management of these sites at least till there is some visible improvement. Learned counsel for the petitioner says that he has no objection to this.

Under the circumstances, we direct the Registry of this Court to make photocopies of the affidavit filed by the Union of India by Dr. A. Duraisamy, Scientist 'F' and Member Secretary, Central Wetland Regulatory Authority and send it to the following High Courts: High Court of Judicature at Hyderabad for the States of Telangana and Andhra Pradesh, Gauhati High Court, Gujarat High Court, Himachal Pradesh High Court, J&K High Court, Kerala High Court, Madhya Pradesh High

Court, Manipur High Court, Orissa High Court, Punjab and Haryana High Court, Rajasthan High Court, Madras High Court, Tripura High Court, Allahabad High Court and High Court at Calcutta. The affidavit be sent to the Registrar General of all the aforementioned High Courts within two weeks from today. A copy of all the orders passed by this Court from 10th September, 2014 till today shall also be sent to the concerned High Courts along with the affidavit. We request Hon'ble the Chief Justice of the concerned High Court to treat the affidavit as a suo motu public interest petition and, if necessary, appoint an amicus to assist the court so as to ensure that the Ramsar Convention sites within their jurisdiction are properly maintained. The affidavit by the Union of India should be filed within six weeks. List the matter on 12th July, 2017”

Now, the latest figure shows that these Ramsar sites have increased from 26 to 85, including 59 additional sites (cited below) falling under 5 other additional High Courts i.e. Patna, Bombay, Karnataka, Gauhati (Aizawl Bench as well) and Uttarakhand. The list of updated RAMSAR sites has been given to this Court, which is reproduced as under:-

“List of 85 Ramsar Sites

	State/UT		Wetland	Date of Designation	Area (hectares)
1.	Andhra Pradesh (1)	1.	Kolleru Lake	19-08-2002	90100
2.	Assam (1)	2.	Deepor Beel	19-08-2002	4000
3.	Bihar (3)	3.	Kabartal Wetland	21-07-2020	2620
		4.	Nagi Bird Sanctuary	11-10-2023	206
		5.	Nakti Bird Sanctuary	11-10-2023	333
4.	Gujarat (4)	6.	Nalsarovar	24-09-2012	12000
		7.	Wadhvana Wetland	05-04-2021	630
		8.	Thol Lake Wildlife Sanctuary	05-04-2021	699
		9.	Khijadia Wildlife Sanctuary	13-04-2021	512
8.	Goa (1)	10.	Nanda Lake	08-06-2022	42
9.	Haryana (2)	11.	Sultanpur National Park	25-05-2021	143
		12.	Bhindawas Wildlife Sanctuary	25-05-2021	412
11.	Himachal Pradesh (3)	13.	Pong Dam Lake	19-08-2002	15662
		14.	Chandertal Wetland	08-11-2005	49
		15.	Renuka Wetland	08-11-2005	20
14.	Jammu and Kashmir (5)	16.	Wular Lake	23-03-1990	18900
		17.	Surinsar-Mansar Lakes	08-11-2005	350
		18.	Hokera Wetland	08-11-2005	1375
		19.	Hygam Wetland	08-06-	802

			Conservation Reserve	2022	
		20.	Shallbugh Wetland Conservation Reserve	08-06-2022	1675
19.	Karnataka (4)	21.	Ranganathittu Bird Sanctuary	15-02-2022	518
		22.	Ankasamudra Bird Conservation Reserve	10-03-2023	98.76
		23.	Aghanashini Estuary	14-02-2023	4801
		24.	Magadi Kere Conservation Reserve	14-02-2023	54.38
20.	Kerala (3)	25.	Asthamudi Wetland	19-08-2002	6140
		26.	Sasthamkotta Lake	19-08-2002	373
		27.	VembanadKol Wetland	19-08-2002	151250
23.	Ladakh (2)	28.	Tso Kar Wetland Complex	17-11-2020	9577
		29.	Tsomoriri Lake	19-08-2002	12000
25.	Madhya Pradesh (5)	30.	Bhoj Wetlands	19-08-2002	3201
		31.	Sirpur Wetland	07-01-2022	161
		32.	Sakhya Sagar	07-01-2022	248
		33.	Yashwant Sagar	07-01-2022	823
		34.	Tawa Reservoir	08-01-2024	20050
29.	Maharashtra (3)	35.	Nandur Madhameshwar	21-06-2019	1437
		36.	Lonar Lake	22-07-2020	427
		37.	Thane Creek	13-04-2022	6521
32.	Manipur (1)	38.	Loktak Lake	23-03-1990	26600
33.	Mizoram (1)	39.	Pala Wetland	31-08-2021	1850
34.	Odisha (6)	40.	Chilka Lake	01-10-1981	116500
		41.	Bhitarkanika Mangroves	19-08-2002	65000
		42.	Satkosia Gorge	12-10-2021	98197

		43.	Tampara Lake	12-10-2021	300
		44.	Hirakud Reservoir	12-10-2021	65400
		45.	Ansupa Lake	12-10-2021	231
40.	Punjab (6)	46.	Harike Lake	23-03-1990	4100
		47.	Kanjli Lake	22-01-2002	183
		48.	Ropar Lake	22-01-2002	1365
		49.	Beas Conservation Reserve	26-09-2019	6429
		50.	Keshopur - Miani Community Reserve	26-09-2019	344
		51.	Nangal Wildlife Sanctuary	26-09-2019	116
46.	Rajasthan (2)	52.	Keoladeo Ghana National Park	1-10-1981	2873
		53.	Sambhar Lake	23-03-1990	24000
48.	Tamil Nadu (18)	54.	Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary	19-08-2002	38500
		55.	Koonthankulam Bird Sanctuary	08-11-2021	72
		56.	Chitrangudi Bird Sanctuary	08-11-2021	260
		57.	Karikili Bird Sanctuary	08-04-2022	58
		58.	Pichavaram Mangrove	08/04/2022	1479
		59.	Pallikaranai Marsh Reserve Forest	08-04-2022	1248
		60.	Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve	08-04-2022	52672
		61.	Vembannur Wetland Complex	08-04-2022	20
		62.	Vellode Bird Sanctuary	08-04-2022	77
		63.	Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary	08-04-2022	44
		64.	Vedanthangal Bird Sanctuary	08-04-2022	40
		65.	Suchindram Theroor Wetland Complex	08-04-2022	94
		66.	Vaduvur Bird Sanctuary	08-04-	113

				2022	
		67.	Kanjirankulam Bird Sanctuary	08-04-2022	97
		68.	Karaivetti Bird Sanctuary	24-05-2023	453.72
		69.	Longwood Shola Reserve Forest	24-05-2023	116.007
		70.	Nanjarayan Bird Sanctuary	16-01-2024	125.865
		71.	Kazhuvveli Bird Sanctuary	16-01-2024	5151.6
62.	Tripura (1)	72.	Rudrasagar Lake	08-11-2005	240
63.	Uttar Pradesh (10)	73.	Upper Ganga River	08-11-2005	26590
		74.	Nawabganj Bird Sanctuary	19-09-2019	225
		75.	Parvati Arga Bird Sanctuary	02-12-2019	722
		76.	Saman Bird Sanctuary	02-12-2019	526
		77.	Samaspur Bird Sanctuary	03-10-2019	799
		78.	Sandi Bird Sanctuary	26-09-2019	309
		79.	Sarsai NawarJheel	19-09-2019	161
		80.	Sur Sarovar	21-08-2020	431
		81.	Haiderpur Wetland	13-04-2021	6908
		82.	Bakhira Wildlife Sanctuary	29-06-2021	2894
73.	Uttarakhand (1)	83.	Asan Conservation Reserve	21-07-2020	444
74.	West Bengal (2)	84.	East Calcutta Wetlands	19-08-2002	12500
		85.	Sunderbans Wetland	30-01-2019	423000
23 States & UTs		85 Ramsar Sites			13,58,068.335

The Registrar General of this Court is directed to send the complete list to all the High Courts, including the 5 High Courts which are mentioned above,

and the High Courts are requested to treat the affidavit as a Suo Moto Public Interest Litigation where an Amicus be appointed, if necessary, to assist the Court and ensure that the RAMSAR Sites within their jurisdiction are properly maintained. We say this only as a continuation of our order dated 03.04.2017.

List the matter again on 25.03.2025.

(JAYANT KUMAR ARORA)
ASST. REGISTRAR-CUM-PS

(RENU BALA GAMBHIR)
COURT MASTER

मध्यप्रदेश शासन ANNEXURE-11
राजस्व एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक २१७ /पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 05/02/2025

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर एवं
अध्यक्ष जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति
मध्य प्रदेश

विषय:- वेटलैण्ड नियमों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11.12.2024 का पालन किये जाने बावत्।

संदर्भ: 1. मान. उच्चतम न्यायालय आदेश दिनांक 11.12.2024 एवं MoEFCC, भारत सरकार का ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 20.12.2024

2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग पत्र दिनांक 22.01.2025

3. सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण पत्र दिनांक 28.01.2025


4. मुख्य सचिव, म. प्र. शासन की VC बैठक दिनांक 03.02.2025

1. कृपया माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका क्र. 230/2001 एवं 304/2018 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु MoEFCC, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित ऑफिस मेमोरेण्डम के संदर्भ में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 03.02.2025 की VC बैठक में दिए गए निर्देश का संदर्भ लेने का कष्ट करें।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि, ISRO की संस्था SAC द्वारा तैयार प्रदेश के 2.25 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 13567 वेटलैण्ड्स का **Boundary Demarcation एवं Ground Truthing** का कार्य किया जाए। यह कार्य जिला प्रशासन के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा में संपन्न किया जाना है। SAC से प्राप्त जिलेवार वेटलैण्ड्स की सूची E-mail पर उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही संपन्न प्रशिक्षण में भी उपलब्ध करायी गयी है एवं राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
3. प्रमुख सचिव महोदय के पत्र के संदर्भ में प्रदेश के 4 जिले क्रमशः रीवा, सतना, मैहर एवं निवाडी जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों से नोडल अधिकारी नामांकित हुए हैं जिनका भोपाल में प्रशिक्षण दिनांक क्रमशः 28 एवं 31 जनवरी 2025 को किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन एवं कार्य की गंभीरता एवं प्राथमिकता के दृष्टिगत सभी जिलों में इस कार्य को संपन्न करने के लिए राजस्व विभाग के जिलाधिकारी (संयुक्त कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर /जिला भू-बंदोबस्त अधिकारी स्तर के अधिकारी) को आवश्यक रूप से इस कार्य का दायित्व सौंपे।
4. तालाबों की Ground Truthing करने के लिए राज्य शासन की संस्था MPSEDC के सहयोग से एक मोबाइल App तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी जिले के तालाबों से संबंधित जिलेवार, ग्रामवार समस्त जानकारी उपलब्ध होगी। Ground Truthing के मापदण्ड App में समाहित हैं उन्हीं मापदण्ड के आधार पर Ground Truthing की जाना है, App इसकी सहायता के लिए सक्षम है। इस App की Link शीघ्र ही आपके जिला नोडल अधिकारियों के साथ साझा की जायेगी।
5. ऐसे वेटलैण्ड्स जो कि वन भूमि पर या वन अधिनियमों से विनियमित (राष्ट्रीय उद्यान, टाईगर रिजर्व, वाइल्ड लाईफ सैंक्चुरी) हो रहे हैं, उन वेटलैण्ड्स की प्रदेश में संख्या MPSEDC के अनुसार लगभग 1400 है। इनकी Ground Truthing एवं सीमांकन का कार्य वन विभाग द्वारा किया जावेगा।
6. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि SAC द्वारा आपके जिले में 2.25 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के दर्शित सभी वेटलैण्ड्स का भी सीमांकन किया जाना है।

7. सीमांकन हेतु राजस्व विभाग में प्रचलित नियम एवं प्रक्रिया का पालन किया जावेगा। सीमांकन प्रतिवेदन (Field Book सहित) की pdf फाइल, MPSEDC द्वारा तैयार पोर्टल अथवा Link पर क्लिक कर, Scanned Copy अपलोड करना है।
8. सीमांकन रिपोर्ट में राजस्व नक्शे के हिसाब से मॉके पर वेटलैण्ड्स के क्षेत्रफल, चौहद्दी एवं अतिक्रमण आदि की स्थिति, संक्षेप में स्पष्टतः दर्शित की जाना चाहिए।
9. वर्तमान में वेटलैण्ड सूखा है या पानी भरा है, कितने क्षेत्रफल में पानी भरा है आदि से सीमांकन का कोई संदर्भ नहीं है, बल्कि तालाब की भूमि की भौतिक स्थिति, क्षेत्रफल, परिधि एवं अतिक्रमण आदि को सुनिश्चित करना उद्देश्य है।
10. संबंधित जिला कलेक्टर जिले में इस कार्य हेतु उल्लेखित / चिन्हित वेटलैण्ड्स (संलग्न सूची अनुसार) का समय-सीमा में सीमांकन हेतु उपलब्ध मानव संसाधन, तकनीक आदि का आकलन करते हुए उपरोक्त कार्य को पूरा करने की रणनीति बनायेंगे तथा इस कार्य की दिन - प्रतिदिन निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो, डिप्टी कलेक्टर के पद से अनिम्न होगा।
11. सीमांकन अवधि के दौरान दिन प्रतिदिन सभी जिलों को लिंक / डेशबोर्ड / पोर्टल प्रदान किया जावेगा। जिस पर प्रत्येक दिन की प्रगति अपलोड करना होगा।
12. संबंधित जिला नोडल अधिकारियों की VC के माध्यम से दैनिक प्रगति की समीक्षा बैठक की जावेगी ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के पालन में सीमांकन एवं जमीनी सत्यापन का कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जा सकेगा।

संलग्न- उपरोक्तानुसार


प्रमुख सचिव
पर्यावरण विभाग
मध्यप्रदेश शासन



प्रमुख सचिव
राजस्व विभाग
मध्यप्रदेश शासन

पू. क्र. 218/पर्यावरण विभाग
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 05/02/2025

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म. प्र. शासन की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर कृपया सूचनार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग मध्यप्रदेश शासन की ओर कृपया सूचनार्थ।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग मध्यप्रदेश शासन की ओर कृपया सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर कृपया सूचनार्थ।
7. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर कृपया सूचनार्थ।
8. समस्त संभाग आयुक्त मध्यप्रदेश को सूचनार्थ।
9. सदस्य सचिव, म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, एफको को सूचनार्थ।
10. समस्त नगर निगम आयुक्त म. प्र. को सूचनार्थ।
11. समस्त वनमंडल अधिकारी, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ।
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश को सूचनार्थ।


प्रमुख सचिव
पर्यावरण विभाग
मध्यप्रदेश शासन


प्रमुख सचिव
राजस्व विभाग
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन
वन एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक २२५/६६/११/पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक ०७/०२/२०२५

प्रति,

समस्त वन मण्डल अधिकारी
मध्य प्रदेश

विषय:- वेटलैण्ड नियमों के संदर्भ में माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश दिनांक 11.12.2024 का पालन किये जाने बावत्।

संदर्भ: 1. मान. उच्चतम् न्यायालय आदेश दिनांक 11.12.2024 एवं MoEFCC, भारत सरकार का ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 20.12.2024

2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग पत्र दिनांक 22.01.2025

3. सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण पत्र दिनांक 28.01.2025

4. मुख्य सचिव, म. प्र. शासन की VC बैठक दिनांक 03.02.2025

1. कृपया माननीय उच्चतम् न्यायालय में दायर जनहित याचिका क्र. 230/2001 एवं 304/2018 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु MoEFCC, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित ऑफिस मेमोरेण्डम के संदर्भ में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 03.02.2025 की VC बैठक में दिए गए निर्देश का संदर्भ लेने का कष्ट करें।
2. माननीय उच्चतम् न्यायालय का निर्देश है कि, ISRO की संस्था SAC द्वारा तैयार प्रदेश के 2.25 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 13567 वेटलैण्ड्स का **Boundary Demarcation** एवं **Ground Truthing** का कार्य किया जाए। इस सूची में ऐसे वेटलैण्ड्स जो कि वन भूमि पर या वन अधिनियमों से विनियमित (राष्ट्रीय उद्यान, टाईगर रिजर्व, वाइल्ड लाईफ सैंक्चुरी) हो रहे हैं, उन वेटलैण्ड्स की प्रदेश में संख्या MPSEDC के अनुसार लगभग 1400 है। इनकी Ground Truthing एवं सीमांकन का कार्य वन विभाग के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा में संपन्न किया जाना है द्वारा किया जाना है।
3. यह कार्य जिला प्रशासन के समन्वय से निर्धारित समय-सीमा में संपन्न किया जाना है। SAC से प्राप्त जिलेवार वेटलैण्ड्स की सूची E-mail पर उपलब्ध करायी गयी है। राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
4. तालाबों की Ground Truthing करने के लिए राज्य शासन की संस्था MPSEDC के सहयोग से एक मोबाईल App तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी जिले के तालाबों से संबंधित जिलेवार, ग्रामवार समस्त जानकारी उपलब्ध होगी। Ground Truthing के मापदण्ड App में समाहित हैं उन्हीं मापदण्ड के आधार पर Ground Truthing की जाना है, App इसकी सहायता के लिए सक्षम है। इस App की Link शीघ्र ही आपके जिले के वन मंडलाधिकारियों / नोडल अधिकारियों के साथ साझा की जायेगी।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि SAC द्वारा आपके जिले में 2.25 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के दर्शित सभी वेटलैण्ड्स का भी सीमांकन किया जाना है।
6. सीमांकन हेतु वन विभाग में प्रचलित नियम एवं प्रक्रिया का पालन किया जावे। सीमांकन प्रतिवेदन की pdf फाइल, MPSEDC द्वारा तैयार पोर्टल अथवा Link पर क्लिक कर, Scanned Copy अपलोड करना है।
7. सीमांकन रिपोर्ट में वन भूमि के नक्शे के हिसाब से मौके पर वेटलैण्ड्स के क्षेत्रफल, चौहट्टी एवं अतिक्रमण (यदि है तो) आदि की स्थिति, संक्षेप में स्पष्टतः दर्शित की जाना चाहिए।
8. वर्तमान में वेटलैण्ड सूखा है या पानी भरा है, कितने क्षेत्रफल में पानी भरा है आदि से सीमांकन का कोई संदर्भ नहीं है, बल्कि तालाब की भूमि की भौतिक स्थिति, क्षेत्रफल, परिधि एवं अतिक्रमण आदि को सुनिश्चित करना उद्देश्य है।

9. संबंधित वन मण्डल अधिकारियों द्वारा जिले में इस कार्य हेतु उल्लेखित / चिन्हित वेटलैण्ड्स (संलग्न सूची अनुसार) का समय-सीमा में सीमांकन हेतु उपलब्ध मानव संसाधन, तकनीक आदि का आकलन करते हुए उपरोक्त कार्य को पूरा करने की रणनीति बनायेंगे तथा इस कार्य की दिन-प्रतिदिन निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो, वन मण्डल अधिकारी अथवा रैंज अधिकारी के पद से अनिम्न होगा।
10. सीमांकन अवधि के दौरान दिन प्रतिदिन सभी जिलों को लिंक / डेशबोर्ड / पोर्टल प्रदान किया जावेगा। जिस पर प्रत्येक दिन की प्रगति अपलोड करना होगा।
11. वन विभाग से संबंधित जिला नोडल अधिकारियों की VC के माध्यम से दैनिक प्रगति की समीक्षा बैठक की जावेगी ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के पालन में सीमांकन एवं जमीनी सत्यापन का कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जा सकेगा।

संलग्न- उपरोक्तानुसार


 प्रमुख सचिव
 पर्यावरण विभाग
 मध्यप्रदेश शासन


 अपर मुख्य सचिव
 वन विभाग
 मध्यप्रदेश शासन

पृ. क्र. / पर्यावरण विभाग
 प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक / / 2025

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म. प्र. शासन की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर कृपया सूचनार्थ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), वन विभाग मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त संभाग आयुक्त मध्यप्रदेश को सूचनार्थ।
7. मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक, समस्त वन वृत्त की ओर सूचनार्थ।
8. सदस्य सचिव, म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, एफको को सूचनार्थ।
9. समस्त कलेक्टर, म. प्र. सूचनार्थ।


 प्रमुख सचिव
 पर्यावरण विभाग
 मध्यप्रदेश शासन


 अपर मुख्य सचिव
 वन विभाग
 मध्यप्रदेश शासन

ANNEXURE-12

Annexure - 12

1. Mahendra Sagar Talab, Tikamgarh



Under Constructed site

2. Brandavan Talab, Jhir Ki Bagia, Tikamgarh



Construction at Wetland boundary

3. Maharajpura Talab, Tikamgarh



Settlement at Wetland Boundary



4. Hanuman Sagar Talab, Tikamgarh




5. Gwal Talab, Tikamgarh



6. Shell Sagar Talab, Tikamgarh







क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
दीन दयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सागर



E-mail:- romppcb_sagar@rediffmail.com

क्रमांक 688 /क्षे.का./प्रनिबो/2025
प्रति,

सागर, दिनांक 17/06/2025

1. अपर कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. भू-अभिलेख अधिकारी,
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)
3. तहसीलदार,
तहसील कार्यालय,
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका टीकमगढ़ (म.प्र.)
5. कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन विभाग,
जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय:- माननीय एनजीटी प्रकरण क्र. O.A. 54/2025 सोबरन यादव विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य के संबंध में जानकारी प्रेषित करने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सेंट्रल ज़ोन) के प्रकरण O.A. क्र. 54/2025 (सोबरन यादव विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा महेंद्र सागर तालाब सहित कुल 06 तालाबों का दिनांक 09.06.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया। चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता को जांच रिपोर्ट हेतु जानकारी संकलित करना है। अतः जांच रिपोर्ट तैयार करने हेतु संलग्न प्रारूप में आपसे संबंधित जानकारी प्रविष्ट कर अतिशीघ्र ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जांच रिपोर्ट समय-सीमा में तैयार कर माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत किया जाना संभव हो सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर

क्रमांक /क्षे.का./प्रनिबो/2025
प्रतिलिपि :-

सागर, दिनांक / /2025

कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर

Required information	Responsible Department/agencies	Remarks
1. Ownership status (Government, private).	Revenue	
2. Area (in hectares) – as per revenue records		
3. Khasra maps showing original boundary		
4. Details of encroachments: a. Type (construction, agriculture, dumping, etc.).	Revenue/CMO/WRD	
b. Extent (area encroached).		
c. Names of encroachers (if available or as per petition). d. Encroachments in within wetlands or talab and 50 meter no construction zone		
5. Encroachment removal actions taken: a. Notices issued, demolitions conducted, court cases (if any).	Revenue/CMO/WRD	
b. Before-after images (if possible).		
6. Pollution a. Domestic sewage, solid waste, industrial effluent, agriculture runoff.	CMO	
b. Presence of drainage channels entering the talab		
c. Details of waste treatment infrastructure: d. STP (Sewage Treatment Plant), waste segregation units, etc.		
7. Present use of talab (fishing, water supply, irrigation etc.).	Revenue/CMO	
8. Ongoing or proposed conservation Activities if any	Revenue/CMO	

Joint Committee Report in OA 54-2025 (Sobran Yadav v State of Madhya Pradesh & Ors.)

From : Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in> Fri, Aug 08, 2025 02:52 PM
Subject : Joint Committee Report in OA 54-2025 (Sobran Yadav v State of Madhya Pradesh & Ors.)  1 attachment
To : nluadvrohitsharma <nluadvrohitsharma@gmail.com>
Cc : Principal Secretary Revenue <psrevenue@mp.gov.in>, DM Tikamgarh <dmtikamgarh@nic.in>, Dr. Rajesh Rajora, ACS WRD <pswrd@mp.gov.in>, cpcb bhopal <cpcb.bhopal@gmail.com>, ED EPCO EPCO Bhopal <ed.epco@mp.gov.in>, harnengt <harnengt@gmail.com>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>, romppcb sagar <romppcb_sagar@rediffmail.com>

Madam/Sir

Please find enclosed the report submitted by MP PCB in compliance of order dated 09.05.2025 passed by Hon'ble NGT (CZ) in OA 54-2025 (**Sobran Yadav v State of Madhya Pradesh & Ors.**). This mail may be treated proof of service.

Regards

LEGAL CELL
MP PCB

 **OA 54-2025 FINAL JCR 08.08.2025.pdf**
17 MB
